कुरुक्षेत्र

मार्च : 1974

मूल्य : 50 पैसे

मध्यप्रदेश में आदिमजाति एवं हरिजन कल्याण

मध्यप्रदेश की जनसंख्या का तृतीयांश हरिजनों एवं आदिवासियों का है। इन दोनों वर्गों की कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 38 लाख है। वैसे इस पिछड़े वर्ग को शासन की सामान्य विकास योजनाओं के लाभ तो उपलब्ध है ही, साथ ही शासन ने यह निर्णय भी लिया है कि सभी विकास विभाग अपनी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित करें कि उनका कम से कम 21 प्रतिशत लाभ आदिवासियों तथा आदिवासी क्षेत्रों को तथा कम से कम 14 प्रतिशत लाभ हरिजनों को यथासम्भव मिल सके। विकास विभागों ने इस निर्णय के अनुसार काम आरम्भ कर दिया है। इन वर्गों की शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए जो प्रयास चल रहे है, उन्हें चतुर्थ योजनावधि में नई गति एवं स्फूर्ति प्राप्त हुई है। चतुर्थ योजनाकाल में आदिवासियों एवं हरिजनों की उन्नति के लिए 16 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

पिछले 20-22 वर्षों में हरिजनों-आदिवासियों के लिए शिक्षण सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। चालू वर्ष में 500 प्राथमिक, 100 माध्यमिक तथा 25 उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गई। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष में आदिवासियों तथा हरिजनों को छात्रवृत्तियां देने के लिए लगभग 248 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष छात्रावास में रहने वाले छात्रों की शिक्षावृत्ति की दर भी बढ़ाई जा रही है।

इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों एवं आश्रमों की सुविधाओं का भी निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। चालू वर्ष में आदिवासियों के लिए 100 पूर्वमैट्रिक एवं 7 मैट्रिकोत्तर छात्रावास एवं 5 माडल आश्रम खोलने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार हरिजनों के लिए 5 मैट्रिकोत्तर एवं 35 पूर्वमैट्रिक छात्रावासों की स्थापना हेतु 6.45 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

आदिवासियों के सघन आर्थिक विकास के लिए आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1972-73 में आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम पर 136 लाख रु० का व्यय अनुमानित है।

आदिवासियों एवं हरिजनों को उनके पैरों पर खड़ा करने एवं उनको शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक एवं कानूनी कदम उठाए हैं। इसके साथ ही एक चर्मोद्योग मण्डल भी गठित किया जा रहा है जो चमड़े के परम्परागत धन्धे को लाभप्रद बनाने का काम करेगा। साथ ही हरिजनों के अन्य पुश्तैनी धन्धों को पुनर्जीवित करने के लिए शासन ने हरिजनों की औद्योगिक सहकारी समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। बस्तर जिले के कोटा एवं दन्तेवाड़ा में दो प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। प्रत्येक के लिए भारत सरकार से डेढ़ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है।

हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण की पूर्ति के लिए एवं अन्य लाभदायक रोजगार सुविधाएं उपलब्ध करने में सहायता देने हेतु मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं बस्तर, मंडला, धामनौद और कोरबा में चलाई जा रही हैं। रोजगार सहायता की विशेष योजना भी आरम्भ की गई है।

आदिवासी क्षेत्रों से कुपोषण की गम्भीर समस्या की समाप्ति के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन योजना और विशेष शिशु आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में लगभग 13.5 लाख आदिवासी बालक-बालिकाओं को पोषण आहार प्राप्त हो रहा है।

राज्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए 442.15 लाख रु० एवं हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए 270 लाख रु० की राशि रखी गई है। समाज के इन पिछड़े वर्गों की उत्तरोत्तर प्रगति की बहुमुखी योजनाएं इस राशि से संचालित हो रही हैं एवं पांचवीं योजना के अन्तर्गत आदिवासी हरिजन कल्याण के लिए एक व्यापक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

कुरुक्षेत्र

वर्ष 19 माघ 1895 अंक 5

इस अंक में पृष्ठ

मध्यप्रदेश में आदिमजाति एवं हरिजन कल्याण (आवरण पृष्ठ II)

मंहगाई की समस्या और उसका समाधान 2
एल० के० सिंहल

गांव की युवा पीढ़ी—न घर की न घाट की 5
डा० जयसिंह 'प्रदीप'

पंचायती राज की प्रमुख समस्याएं 7
धर्मचन्द जैन

सहकारी खेती : एक वरदान 9
देवकीनन्दन पालीवाल

ग्रामों में कुपोषणता का अभिशाप 11
नारायण प्रसाद शर्मा

हिमाचल की सर्वश्रेष्ठ पंचायतें 14
आज्ञाराम प्रेम

सहकारी उपभोक्ता और नियोजन 16
डा० विनोद बिहारी लाल

राजस्थान नहर परियोजना 18
ओमप्रकाश शर्मा

शैक्षिक विकास और सामाजिक न्याय 20
डी० पी० नायर

नए प्रसंग में सामुदायिक विकास एवं पंचायतीराज 21
(निजी प्रतिनिधि द्वारा)

फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे 22
विनोद विभाकर

फागुन आया (कविता) 23
सूर्य दत्त दूबे

खजाना (कहानी) 24
गीता मिश्रा

पहला सुख निरोगी काया 26
ललितेश कश्यप, हकीम चुन्नीलाल, डा० युद्धवीर सिंह

पाठकों की राय 29
आर्येन्द्र सिंह चौहान

आओ हम खेतों में स्वप्न बोएं 30
जहीर कुरैशी

केन्द्र के समाचार 31

राज्य के समाचार 32

साहित्य समीक्षा 34

दूरभाष 382406

एक प्रति 50 पैसे : वार्षिक चन्दा 5 रुपए

सम्पादक : पी० श्रीनिवासन

सह० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

आवरण पृष्ठ : बलराम मण्डल

यह अराजकता क्यों ?

आज डाक्टर हड़ताल करते हैं, इञ्जीनियर हड़ताल करते हैं तथा और भी मोटी-मोटी तनख्वाहें पाने-वाले हड़ताल करते हैं। क्यों ? केवल इस लिए कि उन्हें जो पैसा मिलता है उसमें कुछ और इजाफा हो जिससे वे और अधिक ऐशो आराम की जिन्दगी बसर कर सकें। पर, गांव का खेतिहर मजदूर, जो गरीबो के स्तर से भी नीचे की जिन्दगी बसर करता है. क्या कभी हड़ताल की बात सोच सकता है ? कभी नहीं। वह अपनी दयनीय स्थिति के लिए अपने भाग्य को कोसता है। अगर उसे एक जून भरपेट रोटी मिल जाए तो उसी में खुश है। तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं फिर भी सन्तुष्ट है। दूसरी ओर लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं फिर भी हाहाकार है, देउ देउ' की पुकार है तथा बन्द और हड़तालें हैं। गांधी जी ने हमें दरिद्रनारायण की सेवा और दूसरों के लिए त्याग का मन्त्र सिखाया था जिसे हम अब भूल बैठे हैं और हमें अब अपने स्वार्थ के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं। हाल ही में एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला था कि भारतीय गांव में एक गरीब व्यक्ति की आय 15 रु० मासिक से भी कम है। भला बताइए, इतनी थोड़ी आम-दनी से इस घोर मंहगाई के जमाने में वह अपने परिवार की किस तरह गुजर-बसर करता होगा ?

सरकार ने निर्धनता विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। चौथी योजना में छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा गांवों के और दूसरे गरीबों के लिए अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएं चालू की हैं और पांचवी योजना की अवधि में भी इनका दौर चालू रहेगा। यह ठीक है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में विकास कार्यों पर जो धन राशि व्यय की गई उससे सबल वर्ग के लोगों को ही अधिक लाभ पहुंचा। पर अब सरकार ऐसे कार्यक्रमों पर ही अधिक जोर दे रही है जिनमे लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध हो और गांवों के गरीब इनसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। चिन्ता का विषय यह है कि आज देश में चारों तरफ जो अराजकता की लहर आई हुई है, क्या ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम सही तरीके से क्रियान्वित हो सकेंगे ? क्या इन हड़तालों और बन्दों से समस्याओं का समाधान निकल सकेगा ? क्या गुजरात के दंगों से वहां के मंहगाई और अभाव दूर हो गए ? समझदारी और देश भक्ति का तकाजा है कि लोग जरा धीरज से काम लें और गलत रास्ता न अपनाएं। आज हर आदमी समता और समाजवाद का राग अलापता है। पर समता और समाजवाद तो तभी कायम हो सकते हैं जब हम इस आर्थिक संकट के समय में थोड़ा धैर्य से

[शेष पृष्ठ 4 पर

मंहगाई की समस्या और उसका समाधान

एल० के० सिंहल

यदि देश की आन्तरिक समस्याओं की सूची तैयार की जाए और उन्हें नितान्त द्रुत ध्यानाकर्षण क्रम से रखा जाए तो मंहगाई की समस्या सर्वोपरि होगी। इसका प्रभाव इतना व्यापक हो गया है कि देश की 98% जनता इससे त्रस्त है। अतः जनतन्त्र में यह जनता की समस्या है, जिसका तुरन्त उपाय परमावश्यक है। यदि सरकार की सुदृढ़ता और लोकतन्त्र के स्थायित्व में जनमानस की आस्था अविचल और अविकल बनानी है तो मंहगाई रोकने और मूल्य रेखा दृढ़ करने के लिए उपाय शीघ्र सोचने होंगे।

पिछले दो दशकों में मंहगाई की बात कुछ ही व्यक्तियों के मुंह में यदा कदा सुनी जाती थी अथवा यह भयानक स्थिति शूल की तरह चुभती अवश्य थी किन्तु असहनीय न थी। अब यह शूल एक उग्र पीड़ा के रूप में बाहर आया है, महादानव बनकर जनता को निगलना चाहता है। यदि हाल के समाचार पत्रों पर दृष्टि डाली जाए तो उनमें मंहगाई से सम्बन्धित चर्चा प्रतिदिन अवश्य देखने को मिलेगी। आंकड़ों के अनुसार 1947 की तुलना में अब रुपये का मूल्य 65 पैसे कम हो गया है अथवा रुपये की क्रय शक्ति 65 पैसे गिर गई है।

राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने लोकसभा के वर्षाकालीन सत्र के उद्घाटन तथा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर जनता के नाम सन्देश में भी मंहगाई पर घोर चिन्ता व्यक्त की। इसी प्रकार प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लाल किले से अपने वक्तव्य में मंहगाई की मुख्यतः चर्चा की। उन्होंने इसके अन्तर्राष्ट्रीय कारण बताएं तथा दिखावटी अभाव और चोरबाजारी की स्पष्ट चर्चा की। उन्होंने इसका एकमात्र उपचार कम खर्चा, सरल जीवन और चोरबाजारी की चीजों को क्रय न करने की प्रतिज्ञा बताया। अतः यह आवश्यक है कि मंहगाई की समस्या को गहराई से परखकर इससे त्राण पाने के लिए कुछ अचूक उपाय ढूंढे जाएं।

मंहगाई ने न केवल जनता की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल किया है अपितु उसकी मानसिक स्थिति को भी झकझोर डाला है। यदि और अधिक स्पष्ट कहा जाए तो मानवीय सम्बन्धों, सामाजिक मूल्यों और सम्बन्धियों व परिचितों के पारस्परिक व्यवहार व शिष्टाचार में मंहगाई के कारण व्याघात उत्पन्न हो गया है। चाहे असहाय और दीनों के लिए सहायता कोष की बात हो, चाहे किसी अस्पताल के लिए ट्रस्ट स्थापना और दान की बात, और चाहे पड़ोस के रीतिरिवाज को निभाने की बात अथवा किसी अतिथि एवं सम्बन्धी के आने पर उसके सम्मान में शिष्टाचार के अन्तर्गत व अगवानी आवभगत की बात, सभी अवस्थाओं में व्यक्ति अपने आपको कसा हुआ अनुभव कर रहा है। निज के लाभ से पूर्व दूसरों को सुविधा देना सम्मान की कोटि में समझा जाता था किन्तु अभाव के दिनों में अपने आगे पंक्ति में किसी परिचित को देख सकना या मुस्करा देना भर भी आज मंहगाई ग्रस्त व्यक्ति को सह्य नहीं।

यदि आप किसी मित्र अथवा सम्बन्धी के यहां जाएं तो तुलनात्मक प्रतिक्रिया आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होती है कि शुभ के लिए और शिष्टाचार निर्वाह के लिए अपने बजट में आप क्या क्या ले जाएं। किन्तु एक अल्प आय वर्ग का व्यक्ति अपने आपको कठिन परिस्थिति में पाता है। उसके लिए कुछ भी निर्णय कर सकना कठिन अवश्य हो जाता है। भाषण मंच से प्रधानमन्त्री ने स्वीकार किया कि मंहगाई की स्थिति में चारित्रिक पतन भी हुआ है और खाद्य सामग्री की लूटपाट भी यत्र तत्र हुई है। गुजरात में अनियन्त्रित भीड़ और पुलिस की गोली इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है।

निश्चय ही मंहगाई रोकने और इसके बढ़ते पंजों से बचने के उपाय हम सब अपने मस्तिष्क से सोचते हैं। समस्या पर क्रमानुसार विचार करने के लिए पहले यह सोचें कि मंहगाई के कारण क्या हैं। जो भी रोजगार व्यवसाय आप करते हैं उसमें मूल्य वृद्धि क्यों और कैसे हुई है? यह वृद्धि स्वाभाविक है अथवा कृत्रिम है। उचित अनुपात में है अथवा अनुचित अनुपात में। सामान्य स्थिति में है अथवा विशेष स्थिति में। मूल्यवृद्धि मूल में है अथवा बिचौलियों के द्वारा। थोक सम्भरण में है अथवा परचून (खुदरा बेचने) में। प्रौढ़ शिक्षा जगत् में एक बड़ा शिक्षा उद्देश्य यह भी है कि प्रौढ़ सक्रिय और सतर्क होकर सामाजिक वातावरण और परिस्थितियों का अध्ययन करें और अपने हित में तथा देश के हित में समुचित सुझाव और उपाय अपनी मति से प्रस्तुत करें तथा उसे क्रियान्वित करें। मतों का समन्वय ही सच्चा प्रजातन्त्र है। मूल्य वृद्धि के कारण समाजविज्ञान की दृष्टि से कितनी हानियां हुई हैं उसका किंचित परिचय पूर्व की पंक्तियों में दिया गया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय चरित्र का भी ह्रास हो रहा है। राष्ट्रीय चरित्र यदि नहीं है तो मनुष्य परिस्थितियों और कुप्रवृत्तियों का दास है; प्रगतिशील युग में भी प्रगतिहीन है और अपने हाल पर स्वयं तरस खाता हुआ असमर्थ सा आंसू पीता है अथवा असामाजिक, हिंस्र और बर्बर बन जाता है। ये प्रवृत्तियां समाज को पत्थर-काल की ओर ले जाती हैं जबकि उसने सामाजिक मूल्यों को जाना भी न था, स्थापित करने की तो बात ही क्या।

एक गृहस्थ की आवश्यकताओं को

देखते हुए वस्तुओं की सामान्य सूची तैयार की जाए तो प्रतिनिधि वस्तुएं ये हैं:—(इस गृहस्थ को हम ग्राम और शहर के बीच एक फैक्टरी कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं)

1. अन्न (चावल, गेहूं, मोटा अनाज, सब्जी)
2. गुड़, शक्कर, चीनी आदि
3. नमक/सोडा, साबुन
4. घी (वनस्पति)
5. सरकारी मकान/अथवा अपना (अनधिकृत भूमि पर बनाया हुआ)
6. वस्त्र (कपास, रजाई आदि तथा ऊनी वस्त्र)
7. दूध (चाय, काफी आदि)
8. ईंधन (लकड़ी, कोयला, तेल आदि)
9. साइकल टायर टयूब

उक्त सभी क्षेत्रों में मंहगाई बढ़ी है। सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर मंहगाई के कुछ क्रियाशील कारण हैं। इन सबका वर्गीकरण किया जाए तो कारणों की सूची इस प्रकार है :—

1. परिभ्रमणात्मक
2. तुलनात्मक
3. एकाधिकार स्वामित्व
4. नए प्रयोग एवं उपयोग
5. सामाजिक कारण (सरकारी एवं गैर सरकारी)
6. अभिरुचियों में विविधता

परिभ्रमणात्मक कारण बहुत सार्थक और वैज्ञानिक हैं। एक साधारण गृहस्थ की आवश्यकताओं की सूची ऊपर दी गई है। इन सब में परिभ्रमणात्मक के सिद्धान्त पर मूल्य वृद्धि हुई है। यदि अन्न को ही लिया जाए तो अन्न के उत्पादन में, संरक्षण और ढोने में जो अधिक खर्चा हुआ है वही मूल्य वृद्धि का कारण है। अन्न के उत्पादन में भूमि कर, मजदूरी, वैज्ञानिक खाद, कीट नाशक दवाएं, डीजल, पानी, पम्प, ट्रैक्टर, (मरम्मत सहित) सरकारी क्षेत्र से उत्पन्न कठिनाइयां (जिनमें कई व्यय सम्मिलित हैं) आदि सभी मूल तत्वों में वृद्धि हुई है। अतः अनाज का मूल्य बढ़ा है। उसी प्रकार दूध, घी के मूल्य में वृद्धि के कारण हैं चारा भूसा जिनमें खेती के कारण मूल्य वृद्धि हुई है। खाद, ट्रैक्टर, डीजल फैक्टरी और तकनीकी उत्पादन की वस्तुएं हैं। इनके लिए कच्चा माल, लोहा, इस्पात उत्खनन, आयात तथा निर्यात की सम्भावित उलझनें रही हैं। अतः कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उत्पादन में मूल वस्तुओं के कारण मूल्य वृद्धि हुई है।

कुछ वस्तुओं में तुलनात्मक ढंग से वृद्धि हुई है। यदि विदेशी आयातित अन्न का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार अधिक है तो देशी अन्न का मूल्य स्वयं बढ़ जाता है। यदि एक प्रसिद्ध कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उससे कम प्रसिद्ध कम्पनी के उत्पादन लागत में चाहे वृद्धि हुई हो अथवा नहीं, मूल्य स्वतः बढ़ जाता है। तेल के बीजों के आयात में मूल्य वृद्धि के कारण वनस्पति घी में वृद्धि हुई है किन्तु बहुत वृद्धि केवल देखादेखी तुलनात्मक कारण से हुई है। यही बात रबड़ की वस्तुओं के उत्पादन में है। फैक्टरी स्तर की वस्तुओं में यद्यपि मूल्य वृद्धि फैक्टरी कानून के अन्तर्गत मजदूरों की मजदूरी, सुरक्षा, बोनस, स्वास्थ्य सेवा, कच्चे माल की आपूर्ति, पावर और प्रशासनिक कारणों से हुई है तथापि मुख्य कारण तुलनात्मक प्रवृत्ति ही है। डनलप टायर ट्यूब के एकाधिकार के कारण और बनावटी कमी दिखाने के कारण अन्य मैनुफैक्चरिंग कम्पनी भी मूल्य बढ़ाती हैं।

नई आवश्यकताओं और विज्ञान की प्रगति के कारण भी मूल वस्तुओं की मांग बढ़ गई है यथा लोहे के पाइपों द्वारा फर्नीचर, मूंगफली तेल से बनस्पति एवं रासानिक उत्पादन, झिल्लीदार और पारदर्शी कागज, प्लास्टाइज्ड के निर्माण में तेलों की आवश्यकता, कारखानों के अतिरिक्त छोटे स्तर के उत्पादनों में रंग, ब्लीचिंग पाउडर, रोगन, पालिश की वृद्धि। उसी प्रकार सीरामिक्स के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कोयले की खपत और कोयले की न्यून मात्रा में उपलब्धि, कोयले की शक्ति का अन्य नए क्षेत्रों में इस्तेमाल कोयले की मूल्य वृद्धि का कारण है। अब विज्ञापनों द्वारा व्यवसायों के परिचय और समाचार पत्रों के जनसम्पर्क माध्यम से अगणित व्यवसाय चल रहे हैं।

इसका एक रूप और भी है। रेलों में कोयले का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में है। लोको कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कोयला और पैट्रोलियम का लाना ले जाना ठप्प रहा। बिजली के प्लाण्ट भी कम कार्य करने लगे। बिजली कम मिलने पर फैक्टरियां बन्द रहीं। फैक्टरियां बन्द रहने से उत्पादन क्षमता घट गई। उत्पादन व्यय बढ़ गया और मूल्य वृद्धि हो गई।

मंहगाई के कुछ सामयिक कारण भी हैं ; उदाहरण के लिए:- बाढ़, अनावृष्टि (सूखा)। इनके कारण यातायात और उत्पादन दोनों पर असर पड़ता है। किन्तु ये प्राकृतिक कारण हैं। फिर भी इनके नियन्त्रण के लिए प्रयास किया जाना आवश्यक है—स्थानीय स्तर पर भी तथा राज्य स्तर पर भी। भारत अनेक त्यौहारों का देश है। इनका प्रभाव भी वनस्पति घी, फल और ऐसे ही अन्य पदार्थों पर पड़ता है। एक बहुत बड़ा सरकारी कारण रहा है—अन्तर्राज्यीय खुले व्यापार पर नियन्त्रण अथवा कभी अधिक छूट। नियन्त्रण के कारण जन सुविधा की वस्तु पड़ौसी राज्य में सरलता से उपलब्ध होने पर भी उनका आयात नहीं हो पाता और तस्करी, कालाबाजार तथा मुनाफाखोरों को बल मिलता है; अनावश्यक भय फैलता है और जनता त्रस्त हो जाती है। खुले व्यापार में चुंगी आदि की तो किसी अंश में सरकार को हानि हो सकती है किन्तु माल के बिक्री कर अथवा किसी प्रकार की निश्चित उगाही से यह अभाव पूरा हो सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में हानि यह होती है कि व्यापारी वर्ग वस्तु का विक्रय अधिक लाभ कमाने के लिए अन्य राज्यों में करता है। किन्तु सहकारी संस्थाएं सजग और सक्रिय हों तो छोटे उत्पादक और स्थानीय उपभोक्ता को उचित लाभ हो सकता है। अन्तर्राज्यीय व्यापार मूल्य

परिवर्तन के सामयिक कारणों के अन्तर्गत आता है। जनहित में इनमें सुधार की पर्याप्त अपेक्षाएं हैं।

जन साधारण की अभिरुचियों में पर्याप्त परिवर्तन और वृद्धि देखी जा रही है। सामाजिक परिवर्तन और व्यक्ति के नए परिवेशों के कारण भी रुचियों में परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि विज्ञापन व्यापार की जान है तो भी मोहक विज्ञापन अभिरुचियों में परिवर्तन लाते हैं। "आपके लिए ही बना अमुक सिगरेट" सामान्य व्यक्ति के पहले खर्चे में बढ़ोत्तरी कर सकता है। बिजली उपलब्ध होने के साथ ही बिजली की चीजों मे तीव्र गति से वृद्धि हुई है और माग के साथ मूल्य वृद्धि भी। ऊन, रूई, मूंगफली में औद्योगिकता के कारण और अनाज में बेकरी (मैदा की अत्यधिक खपत) के कारण मूल्य वृद्धि हुई है। जनसाधारण की अभिरुचियों में प्रातः काल के नाश्ते से लेकर वस्त्र, मनोरंजन और सैर सपाटे में बड़ा परिवर्तन हुआ है।

अब देखा जाए तो मूल्य वृद्धि रोग में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों शामिल हैं। फिर किसी अवस्था में आप उत्पादक हैं तो किसी अवस्था में उपभोक्ता। निश्चय ही जीवन व्यतीत करने के लिए भी नैतिक सिद्धान्त और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता है। तभी कहीं यह खाई मिट सकती है जो निरन्तर हमारे जीवन को अभावमय बना रही है। ऊपर दिए गए मूल्य वृद्धि के कारणों को देखिए कि आप कहां सहायता कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आप देश से तनिक भी प्यार करते हैं, देशवासियों का हित चाहते हैं तो होड़ा-होड़ी मूल्य वृद्धि न कीजिए। लागत के अनुसार कुछ लाभ लेकर ही वस्तु का वितरण पहले स्थानीय बाजार में कीजिए। यदि आप बड़े उद्योगपति हैं तो जनहित में छोटे स्थानों से उनकी मजबूरी के कारण कच्चा माल न बटोरिए। सरकार भी इस दिशा में सक्रिय हो सकती है। जनसाधारण का बादाम "मूंगफली" 6 रुपये प्रति किलो न हो जाता यदि वनस्पति के उद्योगपति अधिक मुनाफा कमाने का दृष्टिकोण न रखते। आप नए उद्योग आरम्भ अवश्य कीजिए किन्तु मूल वस्तु की विकृति न हो जाए। सरकारी क्षेत्र में तो इसका बुरा प्रभाव पड़ा। रेजगारी गला कर बटन, बर्तन आदि बनाने से जनता को पिछले दिनों कितनी असुविधा का सामना करना पड़ा। नए उद्योग वहीं खोले जाएं जहां मूल वस्तु का बाहुल्य हो। उपभोग से अधिक सामग्री का संग्रह न कीजिए। यह ठीक है कि आड़े समय वस्तु काम आ सकती है किन्तु वस्तु जहां है, वहां रहे ऐसा करने से आड़ा समय रहेगा ही नहीं। अभिरुचियों में परिवर्तन नियन्त्रित होना चाहिए। आप ट्रांजिस्टर के स्थान पर छोटा सा रेडियो लीजिए। मार्बल चिप्स के स्थान पर पक्की ईंटों का अच्छा फर्श बनवाएं। आज सीमेंट की अधिक कमी इसलिए भी है कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक सीमेंट खर्च हुआ है। मकानों के महराब और छज्जे बालकोनी अथवा अन्य भाग जो अनावश्यक होते हैं उन पर व्यर्थ खर्च किया जाता है।

सरकारी तौर पर सर्वेक्षण किया जाए। जनगणना, चुनाव कर्त्ता सूची तथा व्यवसाय के आधार पर ऐसे क्षेत्र तैयार किए जाएं जहां उत्पादित वस्तु को अधिकांश में काम में लाया जाए और शेष वस्तु को बाहर भेजा जाए। केवल उन वस्तुओं का ही क्रय कीजिए जिनकी तात्कालिक आवश्यकता है। केवल उन वस्तुओं का निर्माण कीजिए जिनकी उपयोगिता अधिक हो और मूल्य कम हो तथा मूल वस्तु के अनुपात में अधिक उपयोगी हो, दूसरे शब्दों में जो मूल वस्तु के वितरण में बाधक न हो। तभी इस मंहगाई के दानव पर काबू पाया जा सकता है।

□

रिसर्च स्कालर
प्लेट नं० टी-4,
(मार्केट के ऊपर)
श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-24

यह अराजकता क्यों.....[पृष्ठ 1 का शेषांश]

काम लें और जो कष्ट आ पड़े हैं उन्हें मिलजुल कर सहर्ष सहन करें। हिंसा, तोड़-फोड़, लूटपाट और आगजनी से घोर अराजकता फैलेगी और गरीबी उन्मूलन के सारे कार्यक्रमों पर पानी फिर जाएगा। जहां देश में इससे एक ओर लोकतन्त्र की बुनियाद हिलेगी वहां दूसरी ओर अगणित बलिदानों से प्राप्त हमारी स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ जाएगी। हमारे शत्रु इस घात में बैठे हैं कि कब यहां विघटन की महामारी फैले और कब उन्हें अपना दाव अजमाने का मौका मिले। आज जरूरत इस बात की है कि आर्थिक कठिनाई के समय में देश का हर व्यक्ति अनुशासनबद्ध रह कर विकास कार्यक्रमों में सहयोग दे और चोरबाजारी, मुनाफाखोर तथा भ्रष्टाचारी अपने काले कारनामे छोड़ कर देश को आर्थिक संकट से उबरने में मदद दें।

महेन्द्रपाल सिंह

गांव की युवा पीढ़ी न घर की न घाट की

डा० जयसिंह 'प्रदीप'

युवा पीढ़ी आज विश्व के लिए समस्या है, और वह कितनी निष्क्रिय एवं प्रयोजनहीन होती जा रही है, इसका साफ उदाहरण गांवों में देखने को मिलता है।

मिसिरढ़ाप मिर्जापुर के कोन ब्लाक का एक गांव है। शिक्षितों का प्रतिशत 62.2 है, आप सोच सकते हैं, गांव कितना विकसित होगा। परन्तु यहां की युवा पीढ़ी प्रगति के पथ पर गर्त की प्रतीक ही साबित होती है। करीब 50 लड़के जिनके घर के खेत हैं, मेहनत करें तो खूब उपजा सकते हैं, अपनी नई शिक्षा का प्रयोग कृषि जगत् में करें तो हरितक्रान्ति अपने सही अर्थों में चरितार्थ हो सकती है; परन्तु, इन्हें शहर का मोह डंस गया है। गांव के स्कूल से हाईस्कूल-इण्टर पास किए कि शहर में जाते ही रुख बदलने लगा है। बाल हिप्पियाना, पैन्ट चुस्त या बैलबाटम। किसान के बेटे होकर खेत जाने में अपना अपमान समझते हैं। शहर में चाहे सौ रुपये की क्लर्की ही मिले मगर वहीं रहना चाहते हैं। हां, पचास रोडवेज में क्लर्क हैं। इस गांव में जो भी पढ़ रहा है, नौकरी के लिए।

अतः गांव से शहर भागने की इस प्रवृत्ति के कारण खेती 'सेकेण्डहैण्ड जाब' बन कर रह गई है। बूढ़े ही इसमें लगे हैं। युवक कहते सुने जाते हैं—अभी अपनी सोना जिन्दगी खेत में क्यों गारत करूं, कुर्सी पर बैठकर पंखे की हवा न लूं? हां, रिटायर होऊंगा तब तो खेती करनी ही है। यह देखिए खेती रिटायर लोगों के जिम्मे जिस देश में होगी वह अन्न संकट से क्यों नहीं पीड़ित होगा। इस प्रकार गांवों की युवा पीढ़ी कुछ पिछड़ेपन तथा परम्परावादी संस्कार, शीलता एवं रूढ़ियुक्त होने के कारण पूर्ण आधुनिक भी नहीं हो पाती और देहाती भी नहीं रहती। वह न खेत में काम कर सकती है, न कल कारखाने में क्योंकि इससे बेइज्जती होगी, लोहारी का काम है। सभी अध्यापक ही बनना चाहते हैं। अब इतनी जगह तो नहीं कि सभी को इच्छित पद मिल जाए। इस कारण यह पीढ़ी विकृत होती जा रही है। इसकी उपयोगिता न गांव के लिए रह गई है न शहर के लिए। इस प्रकार यह धोबी के कुत्ते की तरह न घर के लिए उपयोगी है न बाहर के लिए।

बूढ़े लोगों के हाथ खेती होने का एक प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम में कमी तो है ही जिसके कारण जुताई वगैरह अच्छी नहीं हो पाती, इसके अतिरिक्त पुरानी पीढ़ी बड़ी रूढ़िवादी तथा परम्परा पोषक है। वह किसी अच्छे नए बीज, खाद या यन्त्रों का प्रयोग करने से डरती है। कभी-कभी इसको लेकर भ्रम भी फैला दिया जाता है कि अमुक बीज डालने पर सब बर्बाद हो गया, अमोनिया खाद डालने से स्वाद बिगड़ जाएगा। यहीं अगर युवा पीढ़ी होती तो उसका चिन्तन कुछ तो वैज्ञानिक होता और वह यथार्थ को पहचानती।

कला के छात्रों को खैर छोड़िए मगर कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल करने वाला भी कार्यालय में बैठकर आराम का काम करना चाहता है। यह शहर में रह कर क्लर्की करना अधिक पसन्द करता है। मैंने कुछ नव-युवकों से इस सन्दर्भ में बातचीत की तो उन्होंने बतलाया कि गांव से वे ऊब गए हैं। गांव में शिक्षित होकर रहना अपनी बेइज्जती करवाना है। यदि यही खेती-बाड़ी का काम करना था तो पढ़ने-लिखने की क्या जरूरत थी। मुझे बड़ा दुःख हुआ सुनकर कि शिक्षा ग्रहण करना ही इनके लिए समस्या का कारण हो गया है। एक दूसरे शहर में नौकरी करने वाले युवक से पूछा—

आपको कितना मिलता है?

'दो सौ···।'

'क्या पढ़ाई की है?'

'विज्ञान में स्नातक हूं।'

'कृषि के साथ?'

'जी हां ·····'

'यहां क्या काम करते हैं? गांव में खेती सुधार का काम क्यों नहीं करते, क्या खेती नहीं है आपके पास?'

है ····'

कितनी ··'

'बारह एकड़···'

'वह कैसे होता है?'

'अधिया बटाई पर दे दिया है···'

'इसका मतलब जितनी उपज होती है उसका आधा हमें मिल जाता है, आधा करने कराने वाला ले लेता है।'

'मैं सोचता हूं कि यदि आप स्वयं रह कर खेती करवाएं, आधुनिक बीजों, यन्त्रों एवं प्रविधियों का प्रयोग करें तो अवश्य ही इन दो सौ से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं महीने में।'

'यह तो सभी कहते हैं लेकिन सच बतलाऊं—देखिए मैं पढ़-लिख कर भी अच्छी नौकरी नहीं पा सका। इसका कारण मेरा परिवेश अच्छा नहीं था। गांवों के विद्यालयों में पढ़ा था जहां कि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। वह जिन्दगी बच्चों के साथ न दुहराई जाए, इसलिए उन्हें शहर में ही रखना चाहता हूं। कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ाऊंगा तथा भरसक अफसर बनाने की कोशिश करूंगा, भले ही पूरे खेत बिक जाएं।'

'अफसरी के प्रति इतना मोह क्यों?'

'देख रहा हूं इस समय देश में सबसे सशक्त है तो वह नौकरी करने वाला। चारों

तरफ से उनको रुपये ही रुपये मिलते हैं। शान की जिन्दगी बसर करते हैं।'

'मगर वेतन में कोई फर्क तो नहीं '

'वेतन को मारो गोली।' सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं।'

'खैर और बात छोड़िए यदि कान्वेन्ट स्कूल, यातायात, सिनेमा, सुविधाजनक जिन्दगी की ललक से शहर में रहना चाहते हैं तो एक बात मैं कहूंगा ।'

'क्या ?'

'यदि आप लोग प्रयत्न करें तो यह सब गांवों में भी हो सकता है। जापान, रूस, जर्मनी आदि के गांव इसके प्रमाण हैं। हमारे देश में भी हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में जहां लोग प्रयत्नशील हैं, सब कुछ उपलब्ध है। कान्वेन्ट स्कूल से सिनेमा तक। यदि इन सबके लिए निराश होकर आप शहर भाग आते हैं तो यह आपकी कायरता है।'

यह तो एक उदाहरण था, परन्तु यही हाल सब किसी का है। इन्हीं समस्याओं को सभी झेल रहे हैं।

गांव की युवा पीढ़ी एक संक्रान्ति की स्थिति में जी रही है। सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। बाहरी रूप से वह शहरी सूट-बूट धारण कर आधुनिकीकरण को अपना लेता है परन्तु विचारों में आधुनिकता नहीं आ पाई है। अब भी वह अपनी प्राचीन रूढ़ियों, सड़े-गले संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाया है। इस प्रकार एक सांस्कृतिक विडम्बना (कल्चरल लैग) की स्थिति में है। वह प्राचीन आदर्श, नैतिक मान्यताएं, धार्मिक मूल्य एवं सदाचार छोड़ चुका है, परन्तु नए आदर्शों एवं मूल्यों के साथ अभी पूर्णतः मेल स्थापित नहीं कर पाया है। परिणामतः वह एक आदर्श शून्यता में जी रहा है जो कि विचलनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देता है।

कुछ गांव के बेकार लड़के पढ़ने-लिखने के बाद खेत खलिहान में जाना अपमान समझते हैं। शहर में रहने के लिए कोई धन्धा चाहिए। बेकारी के युग में यह भी सम्भव नहीं हो पाता तो वह गांव के पान की दुकान पर दिन भर बैठे ताश खेलते हैं, जुआ की भी इसी के चलते आदत पड़ जाती है, पुनः पैसे की भी आवश्यकता अनुभव होती है, स्वयं तो पढ़े-लिखे होने के कारण गांव में सफेदपोश गिने जाते हैं, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अन्ततोगत्वा गांव के कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर किसी की फसल कटवाएंगे, किसी का बैल रात में खूंटे से छुड़वा कर दूर-दराज बिकवा देंगे, किसी को मुकदमे में परेशान कर पैरवी के बहाने उससे नाजायज पैसे ऐंठते हैं। इनका रूप रंग भी बड़ा अजीब होता है। कंधे पर दिन भर ट्रान्जिस्टर लटकाए रहेंगे। खूब मुंह में पान भरे रहेंगे। सुर्ती, भांग और गांजे तक का दम मारेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव में यह पीढ़ी विकृत होती जा रही है।

इस समस्या के सुधार निमित्त ग्रामीण नवयुवकों में व्याप्त शहर का भ्रामक लोभ दूर करना पड़ेगा। उन्हें देहात के प्रति प्रतिबद्ध होकर गांव के लिए कार्य करना चाहिए क्योंकि गांवों को इसकी बहुत आवश्यकता है। डाक्टरी पास करने के बाद यदि वे गांवों में प्रेक्टिस करें तो गांव के बेचारों, असहायों को बड़ी सुविधा होगी, स्वयं भी शहर की तुलना में अधिक लाभान्वित होंगे क्योंकि गांवों में डाक्टरों की नितान्त कमी है। इंजीनियरिंग करने वाला भी यदि चाहे तो वह लघु उद्योग कारखाने आदि खोल सकता है। सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि गांवों में रह कर प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वह ऊपर नहीं उठ पाता। मगर कब तक आखिर। सभी यही कहेंगे तो विकास करेगा कौन ? अतः गांव की युवा पीढ़ी को चाहिए कि न्यस्त स्वार्थों से ग्रसित नेताओं के चक्कर में न पड़ कर स्वयं के बारे में सोचें और सही दिशा में चलें। इससे सामाजिक पुनर्निर्माण को बल मिलेगा और समाज का कल्याण सम्भव होगा।

सी 14/160 बी
सत्याग्रह मार्ग
वाराणसी-1

पंचायतीराज की प्रमुख समस्याएं

धर्मचन्द जैन

देश में पंचायतीराज की स्थापना स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक अत्यन्त दूरदर्शिता पूर्ण कदम था। विकेन्द्रीकरण की इस व्यवस्था ने देश में एकसी स्थानीय संस्था का निर्माण कर राष्ट्रीयता एकता को दृढ़ किया है। प्रारम्भ में, प्रशासनिक और बौद्धिक दोनों ही क्षेत्रों में इस व्यवस्था की उपयोगिता और भविष्य के प्रति सन्देह था परन्तु इस व्यवस्था के माध्यम से लोक-कल्याण के जो दूरगामी लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं उन्होंने देश में संसदीय लोकतन्त्र के आधार को दृढ़ किया है। भूमि-सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि और गांवों में सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना के प्रसार में इन पंचायती राज संस्थाओं की अहम् भूमिका रही है। इन संस्थाओं के उद्भव के कारण ही शासन की इकाई के रूप में जिले ने राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया है। योजना आयोग के कार्य भी जिले से ही प्रारम्भ होते हैं। स्थानीय स्तर पर विकास और राजनीतिक संगठन की इन संस्थाओं के कारण, जिनका संचालन स्थानीय लोगों की सलाह, जांच-पड़ताल और सहमति से होता है, गांवों में आधुनिकता और नई राजनीतिक व्यवस्था का समावेश हो रहा है। लेकिन शक्ति के इस विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के चालू होने के बावजूद गांधीजी की परिकल्पना के स्वावलम्बी ग्राम समाज की स्थापना का स्वप्न साकार नहीं हो सका है। राजनीतिक संगठन या शासन की इकाई के रूप में गांवों का महत्व घटता जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की गति भी तेज नहीं हो सकी है। वर्तमान समय में इन संस्थाओं को अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को निम्न रूप से विश्लेषित किया जा सकता है :—

प्रथम, दलगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने इन संस्थाओं को बहुमतीय और अल्पमतीय प्रतिस्पर्धी गुटों की रणभूमि बना दिया है। ये दोनों ही प्रतिद्वन्द्वी गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी शक्ति क्षीण करते रहते हैं जिसके कारण विकास-कार्यों की गति पर कुप्रभाव पड़ा है। पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ने गांवों के सद्भावपूर्ण वातावरण का अन्त कर दिया है। राजनीतिक दलों की गतिविधियों ने गांवों में अनावश्यक तनाव, संघर्ष और हिंसा के जीवन-दर्शन को प्रोत्साहित किया है और दलबन्दी की जकड़ को मजबूत किया है। इस दलबन्दी की भावना के कारण इन संस्थाओं का नेतृत्व बहुधा ऐसे लोगों के हाथों में आ जाता है जो सम्प्रदायवाद, जातिवाद तथा सस्ती नेतागीरी को अपनी शक्ति का आधार मानकर चलते हैं। ऐसे विवेकहीन, विचार-शून्य और विश्वासहीन लोगों के हाथों में शासन-सूत्र केन्द्रित हो जाने के कारण नेतृत्व-संकट का प्रश्न भी उपस्थित हुआ है। इन संस्थाओं को नवीन दिशा और गति प्रदान करने के लिए चरित्रवान् नेतृत्व

की आवश्यकता है। आदर्श नेतृत्व ही इन संस्थाओं को दलबन्दी के दलदल से निकालकर स्वच्छ धरातल पर प्रतिष्ठित कर सकता है और राजनीतिक परम्परा का सुचारु रूप से पालन कर सकता है।

द्वितीय, सरकारी और गैरसरकारी अधिकारियों के बीच सहयोग और समन्वय की भावना का अभाव दूसरी बड़ी विकट समस्या है। सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों में निरन्तर असहिष्णुता और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहता है। शक्ति प्राप्त करने, शक्ति को नियन्त्रित करने तथा शक्ति-प्रदर्शन करने की मनोवृत्ति ने घात-प्रतिघात तथा आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति का विकास किया है। विकास अधिकारी और प्रधान, प्रधान तथा प्रसार अधिकारी, और प्रसार अधिकारी और विकास अधिकारी के बीच मतभेद, संघर्ष और टकराहट की स्थिति ने सामुदायिक भावना के स्थान पर स्वार्थवादी दृष्टि कोण को प्रबल बनाया है।

संस्थाओं के वित्तीय साधनों पर केवल प्रभावशाली लोगों की पहुंच है और साधारण लोगों को इन संस्थाओं से विशेष लाभ नहीं पहुंचा है। कार्यकर्त्ताओं के गिरे मनोबल ने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया है, भ्रष्टाचार ने इन संस्थाओं की जड़ों को खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण इन संस्थाओं के सम्मुख गहन चुनौती है। चतुर्थ, शासन संचालन और निर्णय-प्रक्रिया में जनसहयोग की भावना की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी व्यवस्था का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जनसाधारण किस उत्साह से उसमें भाग लेता है। अगर ये संस्थाएं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही हैं तो इसका मूल कारण जन-उदासीनता ही है। जन-उदासीनता ने सत्ता और संघर्ष संकुल राजनीतिक वातावरण का विकास किया है। लोगों के उपेक्षावादी दृष्टिकोण ने भी इन संस्थाओं के अस्तित्व का प्रश्न उपस्थित किया है। सरकार द्वारा बार-बार चुनाव टालते जाने की प्रवृत्ति के कारण इन संस्थाओं के प्रति जनअभिरुचि कम हुई है और वह इन्हें महत्वहीन संस्था समझने लगी है। लम्बे समय तक एक से लोगों के सत्तारूढ़ रहने के कारण इनकी कार्यपद्धति में जड़ता आई है।

स्वाधीनता के छब्बीस वर्षों के बाद भी हरिजनों और अनुसूचित जाति के लोगों को बुरी तरह उत्पीड़ित किया जा रहा है। उनकी भूमि पर बलात् अधिकार करना, मतदान करने से रोकना, घरों को जलाना, जिन्दा जलाने तथा उनसे बेगार लेने की घटनाएं घटित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विषमता और शोषण की यह स्थिति ऐसी भावना को जन्म दे सकती है जिससे हमारे लोकतन्त्रीय आदर्श तथा मान्यताएं लड़खड़ा सकती हैं जिनको हम वर्षों से संजोते-संवारते चले आ रहे हैं। अतः समाज के अनुसूचित और पिछड़े लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करने का गुरुतर दायित्व भी पंचायती राज संस्थाओं पर है।

गांवों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण रोजगार के स्थायी साधनों की व्यवस्था करना भी इस व्यवस्था के सम्मुख बड़ी गम्भीर समस्या है। शिक्षित युवकों और अशिक्षित श्रमिकों की शक्ति के प्रभावशाली उपयोग के लिए सहकारिता के आधार पर कृषि-व्यवस्था का विकास करना होगा और कृषि की नई तकनीक का लाभ उठाना होगा।

बढ़ती जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए लोगों में परिवार-नियोजन कार्यक्रम के प्रति भावनात्मक और स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न करना होगा। अगर इन संस्थाओं द्वारा कारगर कदम उठाए जाएं तो परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हो सकता है।

270, अशोक नगर
रोड नं० 18 अशोकनगर,
उदयपुर (राज०)

सहकारी खेती : एक वरदान

देवकीनन्दन पालीवाल

हमारे देश को प्रकृति ने सब कुछ दिया है, फिर भी वह गरीब है। हमारे यहां एक व्यक्ति की औसत सालाना आमदनी संसार के अधिकांश देशों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी की तुलना में बहुत ही कम है। हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 करोड़ हैक्टर है जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत भूमि में अर्थात् 16.4 करोड़ हैक्टर भूमि में खेती होती है। देश की जनसंख्या लगभग 54.79 करोड़ है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत किसान हैं, फिर भी अनाज के अभाव का भूत आए दिन हमारे आगे खड़ा ही रहता है और अरबों रुपया, जो देश के उत्थान में काम आता, विदेशों से अन्न मंगाने में खर्च हो रहा है। जमीन से इतनी कम उपज होती है कि उससे लोगों को भोजन भी भरपूर नहीं मिलता, अन्य पदार्थों की तो बात दूर है। इससे शायद आप यही समझेंगे कि भारत का किसान पूरी मेहनत से खेती नहीं करता, वह आलसी और कामचोर है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। हमारे यहां का किसान दिन-भर कड़ी मेहनत करता है, वह झुलसाने वाली धूप और हड्डियों को भी कंपाने वाली सर्दी में रात दिन अपने खेतों के कामों में जुटा रहता है। परन्तु फिर भी वह अपनी धरती से इतना नहीं पैदा कर पाता कि उससे उसके परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने को पूरे कपड़े भी मिल सकें। रहने के लिए अच्छा मकान, बच्चों के लिए शिक्षा और परिवार के रोगी सदस्यों की चिकित्सा के लिए उचित व्यवस्था तो उसके लिए बहुत दूर की बात है।

बात यहीं समाप्त नहीं होती। हमारे देश की आबादी निरन्तर बढ़ रही है, परन्तु उसकी तुलना में खेती के लिए धरती नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसका क्षेत्रफल तो सीमित है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने केवल एक ही रास्ता रह जाता है कि जैसे भी बन पड़े हम अपनी इसी धरती से खेती की पैदावार बढ़ा कर निर्वाह करें। हमारे यहां के लोगों की खुराक आम तौर पर चावल और गेहूं हैं और इन्हीं की बड़े पैमाने पर हमारे यहां खेती होती है। हमारे यहां एक हैक्टर जमीन में इन अनाजों की जितनी पैदावार होती है उससे मिस्र, जापान, इंगलैण्ड, इटली आदि देशों में कई गुनी अधिक पैदावार मिलती है। भारत में एक हैक्टर में लगभग 1,717 किलोग्राम धान पैदा होता है जबकि इसकी तुलना में जापान और मिस्र में धान की पैदावार प्रति हैक्टर क्रमशः 5,250 किलोग्राम और 5,440 किलोग्राम है। इसी तरह भारत में एक हैक्टर में लगभग 1,307 किलोग्राम गेहूं पैदा होता है, परन्तु इसकी तुलना में इंगलैण्ड, मिस्र और इटली में गेहूं की पैदावार प्रति हैक्टर क्रमशः 4,400 किलोग्राम, 2,770 किलोग्राम और 2,550 किलोग्राम है। हमें भी अपनी धरती से उन देशों की तरह अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हमारे देश की सारी शक्ति और सारा धन देश की जनता के लिए केवल दो समय का भोजन जुटाने में ही खर्च हो जाएगा, और देश को आगे बढ़ाने के सारे रास्ते बन्द हो जाएंगे।

इस स्थिति से छुटकारा कैसे मिले इसका कोई उपाय तलाश करने से पहले स्वभावतः हमारे सामने पहला सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हम इस हालत में कैसे पहुंचे, हमारी यह दशा क्यों हुई ? आज से सदियों पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इसकी शस्यश्यामला अन्नपूर्णा धरती से इतनी पैदावार मिलती थी कि देश धन-धान्य से पूरित था, अभाव का कहीं नामोनिशान न था। विपुल कृषि सम्पदा के प्रभाव से वह सभी दृष्टियों से साधन-सम्पन्न, आत्म-निर्भर और सुखी था। देश में दूध-दही की नदियां बहती थीं। परन्तु आज ये बातें एक पुरानी कहानी बन गई हैं।

भारत में खेती की पैदावार घटने के अनेक कारण हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहले किसान की धरती को ही लीजिए। यों तो हमारे देश के औसत किसान के पास धरती ही बहुत कम है, पर जो कुछ भी है वह भी एक चक में नहीं है। उसका एक खेत गांव के पास है तो दूसरा उससे दूर। ऐसी हालत में वह उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सकता।

खेती की पैदावार घटने का दूसरा कारण यह है कि देश के औसत किसान के पास धरती बहुत थोड़ी है। इस कारण वह उसका ठीक तरह से विकास नहीं कर पाता। वह उसमें अपने पुराने औजारों के सहारे ही खेती करता है। वह खेती के नए साधनों और यन्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करने में उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं है। थोड़ी-सी खेती से उसकी आमदनी इतनी सीमित होती है कि खेती के नए औजार और साधन जुटाना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। यही नहीं, वह अपनी फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए बढ़िया बीज, उर्वरक और रोग तथा कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग नहीं कर सकता, सिंचाई के लिए अपना कुंआ नहीं बनवा सकता। बहुत से किसानों की आर्थिक स्थिति तो इतनी गिरी हुई है कि वे खेती के लिए अपने बैल भी नहीं रख सकते। फिर उनको खेती से पैदावार कैसे अधिक मिले? उनकी सारी मेहनत और सारा समय थोड़ी-सी खेती में ही बेकार खर्च होता रहता है। उन्हें अपनी मेहनत की पूरी कीमत कभी नहीं मिलती।

अधिकांश किसानों, विशेषकर छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उनको अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताएं भी साहूकार से कर्ज लेकर पूरी करनी पड़ती है। यदि बदकिस्मती से कहीं बैल बीमार हो जाएं या मर जाएं तो फिर संकट का पहाड़ ही टूट पड़ता है। नया बैल खरीदने के लिए जो कर्ज लेना पड़ता है, उसे वे अपनी सीमित कमाई से कभी नहीं चुका पाते। तभी तो कहा जाता है कि आज का भारतीय किसान कर्जे में जन्म लेता, कर्जे में पलता और कर्जे में मर जाता है। वह कर्जे से इतना दबा रहता है कि उसके पास कभी भी इतनी पूंजी नहीं हो पाती जिसे वह अपनी खेती को सुधारने में लगा सके।

किसान अपनी खेती की पैदावार घर में आते ही बेच देते हैं। इससे उन्हें अपने माल की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। उसमें से भी बड़ा भाग साहूकार के पास चला जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वे हमेशा गरीब ही रहते हैं। वे अपनी खेती को सुधारने की इच्छा रखते हुए भी उसे कभी नहीं सुधार पाते और उनके खेत कमजोर होते जाते हैं, खेती की पैदावार निरन्तर गिरती जाती है, कर्जे का बोझ बढ़ता जाता है, यहां तक कि अन्त में एक दिन इस बोझ से उनकी कमर टूट जाती है और उनकी थोड़ी-सी जमीन भी उनके हाथ से निकल जाती है।

आजादी मिलने के बाद हमारा देश तेजी से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लोगों के लिए खुराक और खेती के सहारे चलने वाले उद्योग धन्धों के लिए कच्चे माल की निरन्तर मांग बढ़ रही है। अतः लोगों को पूरा भोजन मिलता रहे यही काफी नहीं है। हमें अपने उद्योग धन्धों के लिए खेती से कच्चा माल भी पैदा करना है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज और कच्चा माल पैदा करें जिसे हम विदेशों को भी भेज सकें और उस आमदनी से अन्य उद्योग धन्धों के लिए आवश्यक सामान मंगा सकें। देश में नए नए उद्योग धन्धे बढ़ने से काम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी।

हमारे देश में भूमि थोड़ी है और आबादी ज्यादा, और वह भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। यदि हमारे यहां भूमि अधिक होती और आबादी कम, तो शायद हम सहकारी खेती का विचार मन में भी न लाते। भूमि कम होने की स्थिति में हमारे लिए यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी थोड़ी-सी जमीन का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किस तरह करें और उससे अधिकतम पैदावार कैसे लें?

स्पष्टतया इस समस्या का केवल एक ही हल है और वह है—सहकारी खेती। छोटे-छोटे किसान अपना एक सहकारी संगठन बनाकर अपनी जमीन, हल, बैल और पूंजी शामिल कर लें और इस प्रकार अपने सीमित साधनों का भरपूर सदुपयोग करके खेती का पूरा लाभ उठाएं। महात्मा गांधी 'हरिजन सेवक' 15-2-42 में इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि 'मेरा तो विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन को सामुदायिक या सहकारी पद्धति से जोतेंगे तभी उससे पूरा फायदा उठा सकेंगे। बनिस्बत इसके कि गांव की खेती अलग-अलग सौ टुकड़ों में बंट जाए, क्या यह बेहतर नहीं है कि सौ कुटुम्ब सारे गांव की खेती सहयोग से करें और उसकी आमदनी आपस में बांट लिया करें।' हमारे लिए यही मार्ग श्रेयस्कर है। 'संघे शक्ति कलौयुगे,' आज के युग में संघ में ही शक्ति है; सहकारी खेती ही हमारे कल्याण का मार्ग है और यही हमारा सही जीवन है। □

सहायक सम्पादक
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्
कृषि भवन,
नई दिल्ली-1

पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ से ही ग्रामों के पुनर्निर्माण के लिए बहु आयामी प्रयास किए गए हैं। ग्रामों का जीवन हर कोण पर अस्तव्यस्त एवं जर्जर था। लोगों को प्रथम बार यह आभास हुआ कि "कोउ नृप होय हमें का हानि" वाली कहावत चरितार्थ नहीं हो रही है तथा अब नृप प्रजा है एवं प्रजा नृप है। देश के अर्वाचीन नृप योजनाकारों के रूप में लोगों के समग्र जीवन में एक क्रान्ति फूंक देना चाहते हैं जिससे लोग उन्नति के सोपान पर आसानी से अग्रसर हो सकें। इन बहु आयामी प्रयासों ने कई क्षेत्रों में हमें झोलियां भर सफलताएं भेंट की हैं किन्तु खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आज भी आत्म-निर्भर नहीं हो सके हैं। पोषणता की दौड़ में तो हम अन्तिम धावक हैं।

भारत वर्ष में पोषण आहार कार्यक्रम समष्टिगत रूप से समग्र व्यक्तियों के लिए तथा व्यक्तिगत रूप से शिशुओं, गर्भवती एवं सद्यप्रसूत महिलाओं के लिए महत्व रखता है। देश में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से ही रही है, जिसके फलस्वरूप कृषि में हुई प्रगति भी परिलक्षित नहीं होती है। द्वितीय, हमारे यहां की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है तथा ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए अनाज का ही सीधे उपभोग करती है। तृतीय, हमारे यहां फल, साग-भाजी एवं दुग्ध का भी उत्पादन-उपभोग न्यूनतम है। प्रो० शेरसिंह के अनुसार हमारे यहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन 50 ग्राम दुग्ध भी उपलब्ध नहीं होता है। चतुर्थ, देश में पोषक आहार कार्यक्रम का पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार भी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देशवासियों के भोजन में संश्लिष्ट प्रोटीन कैलोरी की मात्रा संसार में सबसे कम है। भारत में प्रति व्यक्ति 53 ग्राम प्रोटीन एवं 1,990 कैलोरी प्राप्त होती है जबकि सामान्य देशों के व्यक्तियों को इससे तीन गुना अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं।

कुपोषणता से अधिकतर मध्यम वर्ग, निर्धन वर्ग एवं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग ग्रस्त रहते हैं। कुपोषणता के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए "भारतीय औषधी अनुसन्धान परिषद"

ग्रामों में कुपोषणता का अभिशाप

नारायणप्रसाद शर्मा

नई दिल्ली ने नवम्बर 1972 में एक वृहद् सर्वेक्षण किया था। उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्ष असामान्य एवं चौंकाने वाले हैं। उसके अनुसार देश में 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के 30% से 60% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हजारों बच्चे मानसिक तथा अन्य विकारों से पीड़ित हैं। 50% बच्चों में आवश्यक न्यूनतम हैमोग्लोविन की मात्रा का अभाव है। सम्पन्न व्यक्तियों के शिशुओं का वजन 3,100 ग्राम होता है जबकि गरीबों के बच्चों का वजन 2,800 ग्राम होता है। स्वास्थ्य की नींव शिशु अवस्था में ही पड़ती है। इसके अनन्तर इस क्षति की पूर्ति सम्भव नहीं है।

ऐसे अनेक अनुभूत प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि

जीवन के प्रारम्भिक दिनों में प्रोटीन कैलोरी सम्बन्धी कुपोषण का स्नायु मंडल एवं शारीरिक संरचना पर बहु आयामी प्रभाव पड़ता है। बन्दरों एवं चूहों पर किए गए परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि प्रारम्भिक कुपोषण का उनके मस्तिष्क एवं शरीर संरचना पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यही बात शिशुओं पर भी लागू होती है। एक से तीन वर्ष तक के शिशुओं के लिए 720 से 1,200 कैलोरी की एवं 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो आरोही क्रम से 16 से 20 वर्ष तक की आयु के लड़के एवं लड़कियों के लिए क्रमशः 3,800 कैलोरी तथा 100 ग्राम प्रोटीन एवं 3,400 कैलोरी तथा 95 ग्राम प्रोटीन होती है।

एक स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है व जन्मोत्तर उसका उचित लालन-पालन कर सकती है तथा एक स्वस्थ शिशु ही आगे चलकर एक स्वस्थ नागरिक बन, देश के निर्माण में योगदान दे सकता है।

ग्रामों में व्याप्त कुपोषणता का प्रतिशत अधिक होने का कारण लोगों की निर्धनता एवं शिक्षा का अभाव है। पौष्टिक आहार के लिए अधिक राशि व्यय करने की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे मौसम के फलों, साग, सब्जियों, दूध, अण्डे, आदि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। आवश्यकता केवल ज्ञान की है। ग्रामीण अंचलों में भूमि की कोई कमी नहीं है। कृषक व अन्य लोग आसानी से अतिरिक्त भूमि पर ये चीजें उगा सकते हैं। पशुपालन, मुर्गीपालन आदि के द्वारा भी वे इन पौष्टिक तत्वों को सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं।

जानकारी हेतु निम्न तालिका में संक्षेप में कुछ सब्जियों, फलों एवं दूध में सन्निहित पौष्टिकता का विवरण दिया गया है उसके उपभोग से शिशु, गर्भवती एवं सद्य प्रसूताओं का स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है।

तालिका में दिए साग सब्जियों व फलों के अलावा अन्य साग सब्जियों एवं फलों में भी पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये सभी पौष्टिक तत्व सुलभ एवं सस्ते हैं। अतएव मौसम के फल, साग सब्जियों एवं दूध का उपयोग कर कुपोषण की समस्या से सहज ही में लोहा लिया जा सकता है। एक सामान्य अण्डे में 13.2 भाग प्रोटीन, 10.3 भाग वसा, 0.9 भाग लवण तथा 144 कैलोरी होती है। इसी तरह एक मछली में 16 भाग प्रोटीन, 5 भाग वसा, 1 भाग लवण तथा 132 कैलोरी होती हैं। मुर्गी एवं मछली पालन का विकास कर इन पौष्टिक तत्वों का सरलता से उपभोग किया जा सकता है।

पोषक तत्वों की कमी के कारण न केवल शारीरिक वृद्धि रुकती है, अपितु अनेक रोगों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः इस ओर प्रारम्भ से ही सजग रहना श्रेष्टतम रहता है।

पालन-पोषण आहार कार्यक्रम के प्रति हम स्वाधीनता प्राप्ति के अनन्तर से ही सजग हैं तथा आज देश के विभिन्न प्रखण्डों में अग्रांकित कार्यक्रम पूरे वेग से चल रहे हैं :—

समाज कल्याण विभाग

1. बालवाडी कार्यक्रम
2. समन्वित शिशु कल्याण प्रदर्शन परियोजना
3. परिवार एवं शिशु कल्याण परियोजना
4. विशिष्ट पोषण कार्यक्रम
5. कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरी वेयर द्वारा सहायता प्राप्त आहार कार्यक्रम

सामुदायिक विकास विभाग

6. प्रदर्शन आहार कार्यक्रम
7. व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम
8. समग्र पोषण कार्यक्रम

श्रम मन्त्रालय

9. औद्योगिक पोषण कार्यक्रम

नाम	परिमाण	कैलोरी	प्रोटीन	विटामिन					
				ए	बी 1	बी 2	सी	केल्शियम	लोहा
			ग्राम	मि. ग्रा.	मि. ग्रा.	मि. ग्रा.	मि.ग्रा.	मि. ग्रा.	मि. ग्रा.
सेम आदि फलियां	1/2 प्याला	125	6.2	25	·070	·170	0	40	2·40
मटर	—,,	100	6.7	700	·250	·250	15	23	2·07
पालक	—,,	25	2.5	10,000	·100	·250	30	08	2·55
सोयाबीन	—,,	100	10.5	20	·525	·300	20	71	2·00
आलू	1	100	3·0	68	·200	·075	20	20	1·053
संतरा	230 मि०ग्रा०	125	1·4	500	·200	·175	120	54	0.90
अंजीर	3	160	2·1	25	·040	·054	0	81	1.44
केला	1	100	1.2	275	·075	·060	7	8	0.60
सेब	1	65	—	70	·035	·030	6	7	0·26
गाय का दूध	230 मि०ग्रा०	85	7.7	—	·100	.300	—	280	0·68

शिक्षा मन्त्रालय

10. प्राथमिक शाला के बालकों के लिए दोपहर का भोजन

उपर्युक्त स्कूल जाने की आयु से कम आयु के बच्चों के कार्यक्रमों में करीब 300 कैलोरी एवं 15 ग्राम प्रोटीन वर्ष में 250 दिन प्रदान किए जाते हैं। दोपहर के भोजन का कार्यक्रम शाला में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए है। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम 'संयुक्त राष्ट्र संघ' की सहायता से चलाया जा रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह कार्यक्रम कुल 1,000 विकास खंडों में क्रियान्वित हो जाएगा। इस कार्यक्रम में दूध पिलाने वाली माताओं एवं शाला जाने के पूर्व के बालकों को लाभान्वित किया जाता है। व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 375 विकास खंडों में समग्र पोषण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जो अन्ततोगत्वा व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 1970-71 में बालबाडी कार्यक्रम की परिधि में 19 हजार बालक थे तथा विशिष्ट पोषक आहार कार्यक्रम में 6·5 लाख बालकों को लाभान्वित किया गया था। औद्योगिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती व सद्यप्रसूत महिलाओं एवं उनके बच्चों को पोषक आहार प्रदान किया जाता है। विशिष्ट पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1970-71 से 1972-73 तक 33.02 लाख शिशु, गर्भवती एवं सद्यप्रसूताओं को लाभान्वित किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विशिष्ट पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत 200 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है ताकि उक्त अवधि में 1 करोड़ व्यक्ति इस योजना से लाभ उठा सकें। इस तरह शासन ने अपने भागीरथी प्रयासों के द्वारा कुपोषणता से त्रस्त व्यक्तियों को, जिनकी हालत गजेन्द्र के समान दयनीय हो गई थी तथा जिन्होंने कुपोषणता के ग्राह की चपेट से त्राण पाने के लिए गोविन्द के सिवाय सारे साधन व्यर्थ समझ लिए थे, आगे बढ़ कर आलम्बन प्रदान किया।

इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम को अप्रतिहित गति प्रदान करना अपरिहार्य है। तमिल नाडु की एक परियोजना में पौष्टिक आहार प्रत्येक गृह में वितरित किया जाता है ताकि माताएं उन्हें अपने शिशुओं को समय पर खिला सकें। उक्त परियोजना में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। अतः वर्तमान तरीकों में परिवर्तन कर इस प्रणाली को अन्य प्रान्तों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसमें स्थल पर वितरण प्रणाली से कम व्यय आएंगे। कार्यक्रम की अनुभूत कठिनाइयों को शीघ्र दूर किया जाए तथा ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध स्थानीय पदार्थों से पोषक आहार निर्मित किया जाए ताकि यातायात आदि व्ययों का भार न पड़े। ग्राम पंचायतों, महिला मण्डलों एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं को इसमें सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। पोषक आहार कार्यक्रम की शिक्षा का प्रचार द्रुत गति से किया जाना चाहिए एवं खेतों, बगीचों, घरों के आंगन एवं अन्य खाली स्थानों पर फल एवं सब्जियां उगाने चाहिए। पशुपालन, मुर्गी एवं मछली पालन द्वारा पोष्टिक तत्वों में सहज ही अभिवृद्धि की जा सकती है।

इस तरह जब हम ग्रामीण अंचलों में व्याप्त कुपोषण पर चहुंमुखी प्रहार करेंगे तभी हम इस समस्या से त्राण पा सकते हैं। देश में स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क वाले शिशुओं का निर्माण एवं उनको पैदा करने वाली जननी के स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व समाज का है। इससे देश की श्रम क्षमता में अतीव अभिवृद्धि होगी एवं उत्पादन शिखर पर पहुच सकेगा।

क्वार्टर नं० 3,
राजेश सांमिल कम्पाउण्ड
स्टेशन रोड, दुर्ग-491001

□

स्वावलम्बन का फल

देवरिया जिले के पड़रौना खण्ड में स्थित गांव पारन छपरा के युवकों ने युवक मंगल दल के अध्यक्ष श्री बनारसी प्रसाद और सचिव श्री नन्द लाल के कहने पर एकजुट होकर सरकारी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना एक सड़क का निर्माण किया।

वह गांव पड़रौना से लगभग 18 किलोमीटर दूर है तथा सड़क से डेढ़ मील हटकर है। सड़क से गांव तक घुटने-घुटने पानी भरा हुआ रहता था, जो सातवीं पास, विज्ञान के विद्यार्थी श्री बनारसी प्रसाद के लिए मुख्य समस्या थी। श्री नन्द लाल और युवक मंगल दल के अन्य सदस्यों की सहायता से उन्होंने गांववालों से परिस्थितियों का मुकाबला करने को कहा। गांव वालों ने अपनी गाढ़ी कमाई से लगभग 330 गज लम्बी कच्ची सड़क बनाई। खरीफ की फसल के काम से फुर्सत पाते ही ये ग्रामीण बाकी कार्य भी पूरा कर देंगे। इस सम्पर्क सड़क के बन जाने से लोग न केवल यातायात सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे बल्कि अपनी खेती की उपज भी आसानी से पास के बाजार में बेच सकेंगे।

दल के सदस्यों ने प्रत्येक परिवार से एक महीने में चार बार दस-दस पैसे का चन्दा लेकर 10,000 रु० इकट्ठे किए हैं। उत्साही युवक श्री नन्द लाल ने कहा कि इस धन से गांव में एक चौपाल (जहां बारात ठहराई जा सकती है तथा अन्य सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए जा सकते हैं) का निर्माण किया जा सकता है और आखिरकार उनकी सड़क कच्ची नहीं, बल्कि पक्की हो जाएगी।

□

हिमाचल की सर्वश्रेष्ठ पंचायतें

हिमाचल प्रदेश की तीन पंचायतों को गत वर्ष की अर्थात् 1972-73 की सर्वश्रेष्ठ पंचायतें घोषित किया गया है। इनमें पहला स्थान प्राप्त किया है जिला किन्नौर की काल्पा पंचायत ने और दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त किया है क्रमशः जिला कांगड़ा की सांतला पंचायत और जिला ऊना की कुगरत पंचायत ने। इन तीनों पंचायतों की प्रमुख विशेषता यह रही है कि इन्होंने न केवल स्वयं अपने प्रयत्नों से आत्मनिर्भर होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं बल्कि श्रमदान द्वारा सामान्य गांवों के हित के महत्वपूर्ण कार्य भी पूरे किए हैं और सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही हैं।

सीमावर्ती जिला किन्नौर में हिमाच्छादित एवं गरिमापूर्ण किन्नर कैलाश के दर्शन करती हुई काल्पा पंचायत किसी भी दृष्टि से निश्चय ही सर्वोच्च स्थान की अधिकारिणी है। काल्पा के प्राकृतिक सौन्दर्य को शब्दों में व्यक्त करना भले ही कठिन हो किन्तु यहां के निवासियों को उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं को तो बयान किया ही जा सकता है। बिजली, नलकों के जरिए पीने का पानी, सिंचाई कुल्हे, प्राईमरी और हाई स्कूल, चिकित्सा-सुविधाएं सभी कुछ यहां उपलब्ध हैं।

काल्पा पंचायत में तीन गांव हैं—बरोधी, काल्पा और यौरंगी। तीनों गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। गांवों की मुख्य सड़कें मजबूत बना दी गई हैं। पंचायत में पंचायती राज अधिनियम के अधीन यह नियम लागू है जिसके अनुसार हर मास गांवों की आम सफाई की जाती है।

काल्पा पंचायत 590 हैक्टर क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी आबादी 2,187 है। इस पंचायत के लोग अपने गांवों के विकास के प्रति कितने सजग हैं, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1972-73 में यहां के निवासियों ने कलों आदि की मरम्मत के लिए 2,024 रुपये मूल्य का श्रमदान किया। इसके अलावा, पंचायत के 266 परिवारों में से 103 परिवारों ने निर्माण-कार्यों में अपने हिस्से के रूप में 449 रुपये का अनुदान दिया।

इस जनजातीय पंचायत के निवासी अपनी समृद्ध संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रति अत्यन्त सजग हैं किन्तु साथ ही प्रगति के और खास तौर पर कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाने में उनकी रुचि भी कम आश्चर्यजनक नहीं। गत वर्ष लक्ष्य था कि कम से कम 240 परिवार उन्नत बीज इस्तेमाल करें किन्तु 250 से अधिक परिवार इस काम के लिए आगे आए। 105 हैक्टर के लक्ष्य के विरुद्ध 108 हैक्टर क्षेत्र में उन्नत बीज बोए गए। इसी प्रकार 11,000 किलोग्राम लक्ष्य के विरुद्ध 11,750 किलोग्राम उर्वरक

आज़ाराम प्रेम

इस्तेमाल हुए। 25 के लक्ष्य के विरुद्ध 21 किसानों ने पैकेज प्रथा को अपनाया। इन प्रयासों के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पंचायत की जलवायुगत परिस्थितियां सब्जियों के बीज, समशीतोषण फल और मेवे, रोगमुक्त आलू और गेहूं तथा जौ आदि अनाज पैदा करने के लिए आदर्श हैं। इन परिस्थितियों से लाभ उठाने की पूरी कोशिश की गई और सात हैक्टर क्षेत्र में मटर, चुकन्दर और जीरे का उत्पादन किया गया।

काल्पा पंचायत में अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास हुए और उसने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए गृह-कर, भवन-निर्माण कर और विवाह तथा जन्म आदि के पंजीकरण पर कर लगाए। 1972-73 में करों से 3,327 रुपये की वसूली का लक्ष्य था जबकि वास्तविक वसूली 3,642 रुपये हुई। काल्पा पंचायत आज एक आदर्श पंचायत के रूप में तेजी से स्वावलम्बन और समृद्धि की ओर अग्रसर है।

दूसरी सर्वश्रेष्ठ पंचायत सांतला का हाल ही में जिला कांगड़ा के देहरा सब डिवीजन में फिर से विलय हुआ है। इस पंचायत का वर्तमान क्षेत्रफल 968 एकड़ और आबादी 879 है। पंचायत में चार गांव हैं—सांतला, गर्थूली जाजर, पथियार और नौरी।

सांतला पंचायत में एक बड़ा पंचायत घर, पांच कुंए, चार बावलियां, दो प्राईमरी स्कूल और एक मवेशी औषधालय है। ग्राम सहकारी कृषि-सेवा संस्था की अपनी एक आलीशान इमारत है। संस्था की कार्य पूंजी 4.30 लाख रुपये से भी अधिक है। पंचायत की समस्त आबादी सहकारिता के अधीन है।

पंचायत ने 14 कनाल भूमि पर नीम्बू और अंगूर का बगीचा लगाया था जो पंचायत के विभाजन पर पीरसलूही पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया गया।

सांतला पंचायत ने गत वर्ष 12,000 रुपये की लागत से तीन कुओं और 2,500 रुपये की लागत से दो बावलियों का निर्माण किया। पंचायत के लोगों ने एक पथरीली पहाड़ी को काट कर 100 मीटर का खेल का मैदान बनाया। उन्होंने स्वयं अपनी सहायता से डेढ़ किलोमीटर लम्बी ट्रक चलने योग्य सड़क का भी निर्माण किया। इस काम के लिए सरकार ने 1,400 रुपये की सहायता दी।

समस्त पंचायत में 1972 में ही बिजली लग गई थी। इस काम में लोगों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने लकड़ी के 110 खम्बे मुफ्त दिए और बिना पारिश्रमिक के मजदूरी की। पंचायत के सभी गांव सम्पर्क सड़कों से जुड़े हुए हैं।

तीसरी सर्वश्रेष्ठ पंचायत गुजरत 1951 से क्रियाशील है। जिला ऊना के बीट क्षेत्र में स्थित 4,516 एकड़ की इस पंचायत में एक ही गांव है जिसकी आबादी 3,127 है।

हाल ही के चुनाव के बाद पंचायत ने गृह-कर बकाया की वसूली और आम तथा प्रचुरता से उपलब्ध घास की बिक्री के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने की पूरी कोशिश की। फलस्वरूप पंचायत ने 4,898 रुपये के आम और घास बेची।

गांवों के शत प्रतिशत किसानों ने कृषि की आधुनिक विधियों को अपनाया है और पंचायत की समस्त कृषि योग्य भूमि गेहूं की उन्नत किस्म के अधीन लाई गई है। गत वर्ष खाद के 500 गढ़े खोदे गए और उनकी मरम्मत की गई। किसानों ने उर्वरक के 700 बैग इस्तेमाल किए। एक नलकूप लगा कर 10 एकड़ भूमि को सिंचाई के अधीन लगाया गया।

पंचायत में विकास कार्य की 50 प्रतिशत लागत वहन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में आगे आए। 72 प्रतिशत परिवारों ने इस काम के लिए 4,818 रु० का अनुदान दिया।

कैश प्रोग्राम में पंचायत ने गहरी रुचि ली तथा सड़कों और नालियों को मजबूत बनाने पर 8,492 रुपया खर्च किया और इस तरह 2,116 श्रम दिवसों का रोजगार प्रदान किया।

□

ई० आर० 182
पक्काबाग
जालन्धर--

रायबरेली में आधुनिक कारखाने की स्थापना

रायबरेली में टेलीफोन के स्विचिंग उपकरण कारखाने का काम शुरू हो चुका है। यह कारखाना प्रमुख सार्वजनिक प्रतिष्ठान, इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अन्तर्गत होगा। पहले चरण में प्रतिवर्ष एक लाख टेलीफोन लाइनें बनाई जाएंगी तथा अन्त में यह उत्पादन क्षमता 3 लाख टेलीफोन लाइनों तक पहुंच जाएगी। आशा है चार वर्ष के समय में इसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा।

राय बरेली स्थित यह कारखाना देश की जनता को टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने में विशेष भूमिका अदा करेगा तथा साथ ही, एक पिछड़े क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। रायबरेली जैसा छोटा सा कस्बा औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र बन जाएगा।

कारखाने की योजना इस तरह से बनाई गई है कि सारे क्षेत्र का समन्वित विकास हो सके। कारखाना तथा बस्ती बनाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि प्राप्त करके इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज को दी है। जिन लोगों से भूमि ली गई हैं, राज्य सरकार उनको उचित मुआवजा देने का प्रबन्ध कर रही है। फिर भी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज अपने नैतिक उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को उसकी आयु और योग्यता के अनुसार इस कारखाने में रोजगार देने का प्रयत्न करेगा। कारखाने में उत्पादन शुरू करने में समय लगेगा, फिर भी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए कई लोगों की नियुक्तियां कर दी है, जैसे कि सुरक्षा गार्ड इत्यादि। 22 उम्मीदवारों का चुनाव करके, और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रायबरेली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भेज दिया गया है। इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 50 रुपए प्रति मास छात्रवृत्ति दे रही है। 18 महीने के प्रशिक्षण के बाद उन्हें कारखाने में लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि कारखाने के निर्माण कार्य में आवश्यक व्यक्तियों को रोजगार देने में वे उन लोगों पर निर्भर लोगों को प्राथमिकता दें जिनसे भूमि ली गई है। इसके अनुसार उन्होंने 60 लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव किया है। निर्माण कार्य में तेजी आने के साथ-साथ काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी।

इस परियोजना में औद्योगिक बस्ती के निर्माण की भी व्यवस्था है, जिससे बेरोजगार इंजीनियरों तथा उद्यमियों को अपना काम-धन्धा शुरू करने का अवसर मिलेगा। औद्योगिक विकास के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए रियायती दरों पर श्रमिक बस्ती बना रहा है। आरम्भ में श्रमिक बस्ती में 500 घर होंगे। अन्ततः इसमें 4,000 घर बनेंगे तथा इसमें आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश का यह अर्ध-विकसित क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। □

सहकारी उपभोक्ता और नियोजन *

डा० विनोद बिहारी लाल

किसी भी कार्य को नियोजित करके सम्पन्न किया जाए और उसके प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखा जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता भण्डार का बड़ा महत्व है। अगर उपभोक्ता भंडार नियोजित ढंग से अपना कार्य सम्पन्न करते हैं तो वे इस मूल्य वृद्धि के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उपभोक्ता भण्डार के कार्य निम्न प्रकार हैं :—

1. उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर माल बेचना
2. उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य को एक निश्चित दर से आगे न बढ़ने देना।
3. जीवनोपयोगी वस्तुओं का समान वितरण करना
4. मिलावट, लाभ कमाना तथा जमाखोरी को रोकना।

इन कार्यों को रोकने के लिए उपभोक्ता भण्डार में प्रारम्भ से ही नियोजन करना पड़ेगा क्योंकि एक सीमित आय के व्यक्तियों द्वारा सीमित साधनों से भण्डार को चलाना है।

सर्वप्रथम बिक्री की क्षमता अधिकतम कितनी हो सकती है इसका ध्यान करके बिक्री का बजट बनाना होगा और इसके साथ-साथ कितना धन चाहिए उतनी बिक्री के लिए—यह भी ध्यान में रखना होगा। इसका वास्तविकताओं के आधार पर एक बजट बनाना होगा। दूसरा कार्य खरीदारी करने का एक बजट बनाने का होगा। जो चीजें उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप में खरीदनी हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर खरीदारी का बजट बनाना चाहिए। उपभोक्ता भण्डार का धन चलता हुआ रहना चाहिए, भण्डार में धरा हुआ नहीं रहना चाहिए।

कितना-कितना सामान खरीदना चाहिए और कहां-कहां से सामान खरीदा जाए इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

मूल्य वृद्धि के जमाने में सरकार को भी चाहिए कि जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपभोक्ता भण्डारों के द्वारा वितरित कराने के लिए प्राथमिकता प्रदान करे।

उपभोक्ता भण्डार के सदस्यों को भी चाहिए कि वे जब भी, जो भी वस्तु खरीदें उसे उपभोक्ता भण्डार से ही खरीदें और अपनी मांग की सूची भण्डार को पहले ही दे दें। इससे भण्डार उनकी मांग के अनुसार वस्तुओं को यथासमय उपलब्ध कर सकेंगे।

उपभोक्ता भण्डारों को चाहिए कि उपभोग्य वस्तुएं सहकारी समितियां सीधे उत्पादक से खरीदा करें और प्रामाणिक वस्तुओं की ही खरीद करें। इससे मिलावट का दोष नहीं आएगा।

उपभोक्ता भण्डार में बिक्री तथा खरीद का बजट बनाते समय ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिक्री के लिए कितने सेल्समैन रखे जाएं। नियोजित तरीके से आवश्यकतानुसार ही सेल्समैन रखे जाएं और बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन की योजना भी रखी जाए तो सेल्समैन उपभोक्ता भण्डार की बिक्री बढ़ाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे। उपभोक्ता भण्डारों से माल चोरी न होने पावे इसका ध्यान रखना होगा। भण्डार बाजार में ही होना चाहिए जिससे उपभोक्ता को असुविधा न हो।

भारत में इस समय नियोजन का काम चल रहा है और जिस प्रकार एक परिवार अपनी आमदनी के अनुसार खर्च का बजट बनाता है उसी प्रकार उपभोक्ता भण्डारों को भी बिक्री के अनुसार या बिक्री की क्षमता के अनुसार अपना बजट बनाना चाहिए।

खरीदारी सोच समझ कर तथा मांग के अनुसार होनी चाहिए और धन के प्रचलन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए कि इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उपभोक्ता भण्डारों को प्राथमिकता दें और जीवनोपयोगी वस्तुओं की बिक्री भण्डारों के माध्यम से कराएं। मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूं, चावल, डालडा, तथा दालें इत्यादि भण्डारों के द्वारा वितरित की जानी चाहिए।

अगर उपभोक्ता भण्डार पूर्णतः नियोजन के द्वारा अपना कार्य सम्पन्न करें और पग-पग पर नियोजन करके ही चलें तो कोई कारण नहीं है कि सफलता प्राप्त न हो।

उप-आचार्य
सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय
मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ

□

अलवर का नोगांवा बीज गुणन फार्म

अलवर दिल्ली जाने वाली सड़क के बीसवें मील पर बांई तरफ राजस्थान के कृषि विभाग के नौगांवा बीज गुणन फार्म में रबी की बुवाई का काम गति पर है। बहुत तड़के से लेकर रात अंधेरा होने तक आप जब कभी भी वहां आएं, आपको ट्रैक्टरों की घरघराहट, पम्पिंग सैट्स का का शोर या क्यारियों और पोरों में बहते पानी की कलकल सुनाई देगी। समय कम है और लगभग 170 एकड़ में फैले इस फार्म में गेहूं, चने, जौ और सरसों आदि बोने का काम समय पर पूरा कर लेना आसान नहीं है। इसीलिए फार्म के व्यवस्थापक से लेकर श्रमिक तक इन दिनों अत्यन्त व्यस्त हैं।

नौगांवा फार्म में बीजों की खेती है जिसमें मेहनत भी ज्यादा चाहिए और कुशलता भी। बढ़िया बीज खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए उतने ही महत्व का है जितनी अच्छी मिट्टी या भरपूर सिंचाई सुविधा। किसानों की बढ़िया बीज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से ही 1963 में राज्य सरकार द्वारा इस फार्म की स्थापना की गई। आरम्भ में फार्म की भूमि उबड़-खाबड़ तथा जंगली वृक्षों से घिरी हुई थी। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए जंगली पेड़ों और झाड़ियों की सफाई की गई।

भूमि समतलीकरण

फार्म की भूमि को समतल बनाने के लिए प्रयत्न यद्यपि आरम्भ से ही किए गए किन्तु पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में वैज्ञानिक ढंग से काम किया गया है। भूमि को समतल बनाकर सिंचाई साधनों का अधिकाधिक उपयोग करने की योजना विभाग द्वारा तैयार की गई। ट्रैक्टरों की सहायता से सारे फार्म की भूमि को समतल बनाया गया तथा पानी के बहाव के लिए वैज्ञानिक ढंग से ढाल रखे गए। मिट्टी के वर्गीकरण का काम भी आरम्भ किया जा चुका है जो अगले एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इन कार्यों पर अब तक 25,000 रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

सिंचाई व्यवस्था

फार्म की साठ प्रतिशत भूमि दो फसली है तथा 40 प्रतिशत भूमि एक-फसली। सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1965-66 में भूमिगत पाइप लाइन डालने का निश्चय किया गया। इस काम की शुरूआत 1972 में की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 5,000 मील लम्बी भूमिगत पाइप लाइन इस विशाल फार्म की सिंचाई के लिए डाली गई। इसके अलावा 900 फुट लम्बी पाइप लाइन का निर्माण विभागीय रूप से करवाया गया। इस पर लगभग एक लाख रुपए व्यय किए गए। इसके साथ ही 300 फुट लम्बी खुली नालियों का निर्माण भी करवाया गया जिस पर 600 रुपए खर्च हुए।

सिंचाई के लिए फार्म पर तीन पम्पिंग सैट तथा एक टरबाइन है जिनसे लगभग 140 एकड़ भूमि सींची जाती है। तीनों ही पम्पिंग सैट्स बिजली से चलते हैं। फसल को फालतू एवं जंगली पशुओं से होने वाली क्षति से बचाने के लिए फार्म के चारों तरफ कांटेदार तारों का अहाता लगाया गया। फार्म में रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू एवं मटर आदि के बीज तैयार किए जाते हैं तथा खरीफ में बाजरा, उड़द, ग्वार, अरहर आदि के बीज तैयार किए जाते हैं।

वैज्ञानिक ढंग

फार्म पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। फार्म पर दो ट्रैक्टर, दो डिस्कहैरो, दो डिस्क हल, एक टिलर, एक भूमि समतल करने का यन्त्र, एक बीज बोने का यन्त्र तथा गेहूं का दाना और भूसा अलग करने वाली मशीनें उपलब्ध है। फसल के लिए भूमि की जुताई से लेकर फसल तैयार करने तक का काम नियत समय पर किया जाए इस बात का ध्यान अधिकारी एवं कर्मचारी विशेष रूप से रखते हैं।

चालू रबी में फार्म में 90 एकड़ में गेहूं बोया गया है, जिसमें राज-821, राज-911 तथा लाल बहादुर जैसी नवीनतम किस्में भी शामिल हैं। जौ दस एकड़ में बोया गया है तथा पांच एकड़ में सरसों बोयी गई है। चना (आर० एस० 10) दस एकड़ में तथा "कुफरी चमत्कार" आलू डेढ़ एकड़ भूमि में बोया गया है। पांच एकड़ में "जई" बोई गई है। इसके अलावा, दस एकड़ में सरसों, चने एवं गेहूं की मिली जुली फसल परीक्षण के तौर पर बोई गई है।

विशुद्ध लाभ

पिछली रबी में फार्म का उत्पादन इसके अब तक के इतिहास में सर्वाधिक रहा। गेहूं, चने, जौ और सरसों की दो लाख रुपए से अधिक मूल्य की फसलें इस फार्म पर हुईं। इन फसलों के उत्पादन पर कुल खर्चा लगभग एक लाख रुपए का हुआ। इस प्रकार एक लाख रुपए का विशुद्ध लाभ इस फार्म ने कमाया है।

□

राजस्थान नहर परियोजना

ओमप्रकाश शर्मा

राजस्थान की जिस भूमि पर (जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में) रेत का समुद्र लहरा रहा है वह कभी सिन्धु घाटी की सभ्यता की जन्मस्थली रही है। शिवालिक पर्वत की शृंखलाओं से निकलने वाली घग्घर और अन्य नदियां पहले यहां से होकर बहती थीं। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी, जो अदृश्य है और त्रिवेणी के संगम पर प्रयाग में गंगा-यमुना में मिल जाती है, इसी क्षेत्र में बहती थी। ऐसा हरा-भरा व समृद्ध क्षेत्र नदियों के मार्ग खो बैठने तथा लुप्त हो जाने के कारण धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक सम्पदा से वंचित होता चला गया। यहां पर वर्षा का वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर से भी कम हो गया। नतीजा यह है कि इस धन-धान्य से परिपूर्ण गोविन्द बल्लभ पन्त ने शिलान्यास किया था। यह नहर संसार की सबसे बड़ी पक्की (पलस्तरयुक्त) नहर होगी।

धरती पर आज मरुस्थलीय रेत का सागर अट्टहास कर रहा है। इसीलिए इस रेत के समुद्र को फिर से हरा-भरा करने का स्वप्न राजस्थान नहर परियोजना द्वारा संजोया गया है।

30 मार्च 1958 को, राजस्थान निर्माण के ठीक 9 वर्ष बाद, राजस्थान राज्य की नवीन भाग्यरेखा—राजस्थान नहर—का तत्कालीन गृहमन्त्री पं० गोविन्द बल्लभ पन्त ने शिलान्यास किया था। यह नहर संसार की सबसे बड़ी पक्की (पलस्तरयुक्त) नहर होगी।

पंजाब में हरिके बैराज से (जो सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर बनाया गया है) बाईं ओर राजस्थान नहर निकाली गई है। इस नहर की कुल लम्बाई 685.40 किलोमीटर होगी और इससे लगभग 28 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इसे दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई थी। प्रथम चरण के अन्तर्गत अनुमानित लागत पूरी योजना की अनुमानित राशि (1970 के अनुसार) 232.18 करोड़ रुपये है जिसमें से 118.56 करोड़ रुपये की राशि प्रथम चरण के लिए और शेष 113.62 करोड़ रुपये की राशि द्वितीय चरण के लिए है। मई 1973 तक कुल 94.21 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी थी।

भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से 1966 में एक परियोजना शुरू की गई थी। पांच साल राजस्थान फीडर, जिसकी लम्बाई 215.60 किलोमीटर है, बनकर तैयार हो गई है। इस नहर का 112 किलोमीटर लम्बा मार्ग 1974 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

बीकानेर से करीब 70 किलोमीटर दूर सत्तासर ग्राम के निकट राजस्थान नहर का दूसरा चरण आरम्भ होता है जिस पर कार्य शुरू किया जा चुका है। इसकी लम्बाई लगभग 348 किलोमीटर है।

राजस्थान नहर से अब तक 62,815 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की जा चुकी हैं। इसकी मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :—

प्रथम चरण

मुख्य नहर, वितरक शाखाएं, लिफ्ट चैनल और अन्य कार्य 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं और आशा है कि पूरा काम 1974 के अन्त तक पूरा हो जाएगा। केवल पलस्तर का काम ही मुख्य रूप से बाकी है, जो तेजी से हो रहा है।

दूसरा चरण

इसका लगभग 20 प्रतिशत काम हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है।

की कार्यावधि में इस परियोजना क्षेत्र की भूमि की खूबियों और कमियों का विवरण तैयार किया गया और बरोर तथा हनुमानगढ़ में स्थित अनुसन्धान फार्मों पर विभिन्न फसल प्रदर्शन आयोजित किए गए। यह भी पता लगाया गया कि लगभग 8 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो नहर के पानी को सोख लेती है तथा इस भूमि का समतलीकरण करने पर आने वाले व्यय का अनुमान लगाया गया और किस तरह के पक्के खोले बनाए जाएं इस बारे में भी अध्ययन किया गया।

उक्त विकास योजना तो 1971 में पूरी हो गई। इसके अनुभवों को किसानों तक पहुंचाने के लिए चार वर्ष के लिए 14 लाख रुपये की लागत की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में भूमि सुधार, अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रदर्शन, सिंचाई के लिए उपयुक्त ले-आउट पर प्रदर्शन करना, पक्के खातों का निर्माण करना और इनके लाभ समझाना, बालू के टीबों को बढ़ने से रोकना, भूमि का कटाव रोकना, चरागाह प्रबन्ध का प्रदर्शन करना तथा प्रशिक्षण शिविर लगाना आदि थे।

इस प्रायोगिक योजना का कार्यक्षेत्र भूमि के गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में रावतसर, नौरंगदेसर और सूरतगढ़ शाखा के सिंचित क्षेत्र हैं जिनका मुख्यालय नौरंगदेसर है। द्वितीय भाग में अनूपगढ़ तथा इसकी वितरक शाखाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र है जिसका मुख्यालय राजकीय अनुसन्धान केन्द्र बरोर रखा गया है। इन दोनों क्षेत्रों में लगभग 20,000 एकड़ पर कृषि की उन्नत विधियों के समुचित प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम बरोर तथा नौरंगदेसर के आसपास चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भूमि सर्वेक्षण, भूमि विकास, पक्के खातों का निर्माण, फसल प्रदर्शन, टीबों को बढ़ने से रोकना, फार्म प्रबन्ध तथा किसानों के प्रशिक्षण के कार्य हाथ में लिए जाएंगे।

परियोजना के लाभ

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना है। पिछले साल राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था। इस अकाल से राहत दिलाने के लिए 40,000 से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था। परियोजना क्षेत्र के लोगों के अलावा जेसलमेर तक से भी लोगों को काम दिया गया। इन लोगों को सरकारी बसों गाड़ियों द्वारा काम करने के स्थान तक लाया गया था। केवल जैसलमेर से ही 5,000 व्यक्ति लाए गए थे। हां, निहित स्वार्थ बीच में नहीं आते तो अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया जा सकता था।

ऊंट रेगिस्तान का जहाज है और लगभग हर घर में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत ऊंट वालों को ऊंटगाड़ी बनवाने के लिए ऋण दिया जाएगा। यह ऋण 2,000 रु० है। बनी बनाई गाड़ी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। ऊंटवालों को तब तक राजस्थान नहर पर काम करना होगा जब तक कि ऊंटगाड़ी ऋण के बराबर काम नहीं कर देती। इन ऊंटगाड़ियों द्वारा मिट्टी की कटाई और भराई का काम, भट्टों से काम की जगह तक ईंट और टाईलों को पहुंचाने का काम लिया जाता है। इस तरह यहां के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की माली हालत में अवश्य ही सुधार आएगा।

राजस्थान नहर के साथ-साथ धान की नई मण्डियां खोलने की भी योजना है। पहले हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ में मण्डियां बनी हुई हैं। सूरतगढ़ में एक सरकारी कृषि फार्म भी बना हुआ है जहां नहर बनने पर उन्नत बीज पैदा किया जाएगा।

नहर बन जाने पर डेयरी फार्मों का भी विकास हो सकेगा। मुर्गीपालन के विकास की भी सम्भावना है। इसके अलावा, रेललाइनों और सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिससे रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही, क्षेत्र भी समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। इस नहर को जल यातायात के रूप में भी प्रयोग में लाया जाएगा।

पहले राजस्थान नहर में बिचौलियों के माध्यम से काम लिया जाता था। लेकिन, अब ज्यादातर काम सरकार स्वयं कर रही है। केवल 40 प्रतिशत काम ही बिचौलियों द्वारा करवाया जा रहा है। इससे काम की गति बढ़ गई है। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा सीधा मिलने लगा है।

पानी उपलब्ध हो जाने पर चावल, गन्ना व कपास जैसी उपयोगी फसलें भी इस क्षेत्र में उगाई जा सकेंगी। इससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक दशा में सुधार आएगा। कुछ हद तक खाद्य समस्या भी हल होगी ही।

किसी क्षेत्र में जब कृषि का विकास होता है तो साथ ही छोटे-मोटे उद्योग भी पनपते हैं। पंजाब इसका एक जीवन्त उदाहरण है। कच्चा माल मिल जाने के कारण यहां भी छोटे उद्योग शुरू किए जा सकेंगे जिनमें मुख्य हैं—तेल मिलें, कपास औटाने की मिलें, सूती वस्त्र उद्योग, मछलीपालन, दालों के कारखाने, लकड़ी चीरने के कारखाने आदि।

राजस्थान नहर निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दौड़ में एक कदम साबित होगी।

36, काकानगर,
नई दिल्ली

शैक्षिक विकास और सामाजिक न्याय

डी० पी० नायर

पांचवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय दिलाना है। इसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा के विकास का प्रमुख उद्देश्य लोगों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा को और अधिक प्राथमिकता दी गई है, जो चौथी योजना के 28.5 प्रतिशत से बढ़कर पांचवीं योजना में 43 प्रतिशत हो जाएगी। समाज के कमजोर वर्ग के लोग केवल प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त करने में समर्थ हैं तथा सरकार द्वारा नागरिकों को बराबर अवसर प्रदान करने का यह गम्भीर प्रयास है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षा के इस कार्यक्रम को इस ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग सबसे अधिक लाभान्वित हो सकें।

1967 में प्रकाशित द्वितीय शिक्षा सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश बच्चों के लिए उनके घरों के समीप ही पाठशालाएं खोली गई हैं। अब केवल छोटे-छोटे गांवों, दूर-दराज के क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में ही पाठशालाएं खोली जानी हैं। इसके अतिरिक्त, पाठशालाओं में लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के अन्य लोगों की संख्या बढ़ानी है। इस सिलसिले में पांचवीं योजना में प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकों की निःशुल्क व्यवस्था, दोपहर को भोजन, लड़कियों के लिए वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं, महिला अध्यापकों को गावों में जाकर पढ़ाने तथा रहने के लिए आवास की सुविधा, अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पाठशालाएं तथा छात्रवृत्तियां देना शामिल है। शिक्षा योजना में एक और छोटी योजना शामिल होगी जिससे अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए निर्धारित धनराशि और उसके लक्ष्यों के बारे में पता चलेगा।

शिक्षा योजना का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। राज्य शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं के बारे में अनुसन्धान करेगी ताकि इन बच्चों को यथासम्भव अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। गांव और नगर के बच्चों को भिन्न-भिन्न वातावरण में शिक्षा देने का अभिप्राय यह नहीं है कि गांव के बच्चों को शहर के बच्चों की अपेक्षा घटिया किस्म की शिक्षा दी जाए। ठोस शिक्षा का मूल सिद्धान्त यह है कि इसका सम्बन्ध बच्चे के वातावरण से होना चाहिए। इसके अलावा, गांवों में शिक्षा के प्रसार की सम्भावनाएं शहर के मुकाबले किसी प्रकार कम नहीं हैं।

शिक्षा में सुधार करने का अन्य पहलू यह है कि इसके प्रभाव को कुछ पाठशालाओं तक ही सीमित न रखा जाए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर एक संयोजक की नियुक्ति की जाएगी जो प्रशिक्षण संस्था तथा पाठशाला के कर्मचारियों की सहायता से ऐसे तौर-तरीके विकसित करेगा जिन पर कम खर्च होगा।

विभिन्न पाठशालाओं के संयोजकों को राज्य शिक्षा संस्थानों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्देश दिए जाएंगे।

पाठशालाओं में शिक्षा के सामान्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी ताकि प्रतिभाशाली निर्धन छात्र लाभान्वित हो सकें। यह व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय के बीच समझौता है। प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के छात्र को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के साधन-सम्पन्न छात्रों को छोड़कर सबको छात्रवृत्ति दी जाती है।

निर्धन छात्रों के लिए पथप्रदर्शन सेवाएं भी अनिवार्य हैं, अन्यथा वे कुण्ठा और क्रोध के शिकार हो सकते हैं।

सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना है, जो पूरे समय के लिए पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर साक्षरता कक्षाएं, माध्यमिक स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सायंकालीन कालेज खोले जाएंगे। इसके लिए रेडियो तथा टेलिविजन की भी सहायता ली जाएगी।

शैक्षिक संस्थाओं को कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा में लगाकर इस कार्यक्रम को नई और महत्वपूर्ण दिशा दी जाएगी तथा प्रौढ़ों और युवकों के लिए शिक्षा के विस्तार कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के महत्व पर जोर देना सामाजिक न्याय की दिशा में एक और कदम है। □

सामुदायिक विकास और पंचायती राज

निजी प्रतिनिधि द्वारा

नई दिल्ली में गत 6 फरवरी को सामुदायिक विकास और पंचायती राज के बारे में सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा कि पांचवीं योजना के अधीन जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं उनका लक्ष्य गांव के कमजोर वर्ग के लोगों की गरीबी दूर करना और उनके आर्थिक स्तर को उठाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है लोगों के दिमाग में खुद अपनी स्थिति सुधारने की क्षमता में निष्ठा पैदा हो। इस प्रसंग में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। श्री अहमद ने कहा कि जनता का सहयोग सफलता के लिए एक जरूरी चीज है।

मन्त्री महोदय ने बताया कि पांचवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने योजनाओं को अमल में लाने वाले कार्यकर्त्ताओं में टीम की भावना पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक जोरदार और व्यवस्थित बनाया जाए।

बैठक में शुरू से ही उर्वरक की कमी की चर्चा रही। बहुत से सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस के सन्यत्र लगाने से किसानों को घरेलू कामों के लिए ऊर्जा प्राप्त हो सकती है और खेतों के लिए खाद भी। इसके साथ-साथ हरी खाद से भी काम लिया जा सकता है। कई सदस्यों ने यह शिकायत की कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की उपेक्षा की जा रही है और युवकों का सहयोग नहीं लिया जाता। हिमाचल प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों का कहना था कि सामुदायिक विकास की योजनाएं अचानक शुरू की जाती हैं या रोक दी जाती हैं। उन्होंने कार्यक्रमों में असंगति पैदा न होने देने का आग्रह किया और ग्रामीण रोजगार योजना को जारी रखने का अनुरोध किया।

अधिकांश सदस्यों की इच्छा थी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को अगली योजना में खण्ड अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाए। बहुत से सदस्यों ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि देशभर में पंचायती राज्य संस्थाओं का एक सा रूप हो और पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से किए जाएं। उनकी यह इच्छा थी कि पंचायती राज निकायों को अधिक सत्ता, अधिक धन और अधिक जिम्मेदारियां दी जाएं।

कर्नाटक के प्रतिनिधि ने यह कहा कि ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों की सामुदायिक विकास और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपेक्षा की जा रही है। उनका कथन था कि कल्याण योजनाएं खण्ड तथा ग्राम स्तर पर सिर्फ सरकारी अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाएं और इन स्तरों पर अनुदान स्वयंसेवी अभिकरणों को नहीं दिए जाएं। प्रायः सभी की यह शिकायत थी कि विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों में समन्वय का अभाव है। इस सम्बन्ध में गुजरात के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय में हाल के परीक्षण से अच्छे नतीजे निकले हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्त्ताओं और कार्यक्रमों में समन्वय के द्वारा धन का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। मध्यप्रदेश और पंजाब के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज-निकायों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए एक ग्रामीण इन्जीनियरी कक्ष खोला जाए क्योंकि इन अभिकरणों के माध्यम से निर्माण विभाग के निर्माण कार्य के मुकाबले आधी लागत पर निर्माण का कार्य किया जा सकता है। अपने समापन भाषण के दौरान सदस्यों के विभिन्न सुझावों पर श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने जो अपने विचार प्रगट किए वे इस प्रकार हैं :—

1. इस वर्ष उर्वरक की स्थिति खराब रही, हालांकि अगले वर्ष इसमें सुधार हो सकता है। इसलिए गोबर कूड़े के खाद से लाभ उठाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। 20,000 गोबर गैस सन्यत्र लगाने के लिए 7.81 करोड़ रुपये अलग रख दिए गए हैं। यह भी जरूरी है कि खरपतवारों का उन्मूलन किया जाए क्योंकि बहुत सा उर्वरक यही खा जाते हैं।

2. यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में पंचायती राज के ढांचे में एकरूपता नहीं है। सत्ता और संसाधनों के विकेन्द्रीकरण के बिना गांव का विकास सम्भव नहीं। पंचायत और सहकारियों को खाद्य बसूली और वितरण के कार्यों में लगाया जाए। सामुदायिक विकास और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में समन्वय की आवश्यकता है।

3. खण्ड संगठनों को केन्द्रीय सहायता इसलिए दी गई है कि वे कुछ समय के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। परन्तु राज्य सरकारों ने उन्हें परियाप्त धन मुहैया नहीं किया इसलिए कमजोर पड़ गई। प्रशिक्षण संस्थाओं का भी यही हाल रहा।

4. कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए जा रहे इसी तरह के अन्वेषणों में पुनरावृत्ति न हो तथा संसाधनों पर रोक लगने के कारण उच्च सता आयोग की स्थापना का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। इस बीच सलाहकार परिषद सामुदायिक विकास और पंचायती राज के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए छोटी कमेटी कायम कर सकती है।

5. हालांकि ग्रामीण रोजगार योजना पांचवीं योजना में चालू नहीं रहेगी। परन्तु इसके उद्देश्यों की पूर्ति नए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से हो सकती है। □

फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे

विनोद विभाकर

मदमाता फागुन आ गया। चहुं दिशा सरसों के खेत अपनी पीत-वर्णा निराली छटा बिखेरने लगे। वन-उपवन, बाग-बगीचे पुष्पों से लदे और दिशाएं टेसू, कमल, अशोक, मौलसिरी की गंध से महकने लगीं। रंग-बिरंगी फूलों की पंखुड़ियों पर भ्रमरों का मधुर गुंजन और अमराइयों में कोयल की मादक कुहूक रस घोलने लगी। नूपुरों की रुनझुन से धरती का कोना-कोना और ढोल-ढफ-मंजीरों की खनक से आकाश गूंजने लगा—

"फागुन मस्त महीना रे।"
अब दिन आए वसन्ती नीरे,
ललित और रंग मीरे।
टेसू और कदम फूले हैं,
कालिन्दी के तीरे॥

सच फागुन मास ऐसा ही सुहावना होता है, जिसमें नायिका अपने पति के साथ जाना और रहना चाहती है। एक मालवी युवती अपने पीहर में है। जब वह सुनती है कि उसका श्वसुर उसे लेने आया है तो वह कहती है कि मैं उस बूढ़े के साथ फागुन में नहीं जाऊंगी। जेठ को मोटे पेट वाला और देवर को लड़का बताकर उनके साथ जाने से भी मना कर देती है। पर जब उसे खबर मिलती है कि उसका पति स्वयं उसे लेने आया है तो वह उसी समय जाने को तैयार है :

फागण में ख्याल रचाया रसिया फागण में
पैलो जो आणो मारे सुसरो लेवा आया,
बूढ़ा रे साथे मारी जाय रे बलाये।
फागण में.....
दूजो जो आणों मारा जेठ लेवा आया,
मोटा पेट वारा साथे मारी जाय रे बलाय।
फागण में.....
तीजो जो आणों मारे देवर लेवा आया,
छोरा छावरा रे साथे मारी जाय रे बलाय।
फागण में.....
चौथा जो आणों मारे सायब लेवा आया,
साथ बजीरा साथे मैं तो काल की तयार।
फागण में.....

फागुन के इसी रसीले और मस्त महीने में होली का वासंती पर्व आता है, जिसके रंगों में भीजने को सभी बौरा उठते हैं। इसका अन्दाज उस स्त्री के मनोभावों से बखूबा लगाया जा सकता है, जो कह उठती है कि 'बेटे ! फागुन में जन्म न लेना, वरना मैं अपनी संग-सहेलियों के साथ होली खेलने कैसे जाऊंगी।'

ये रतनारे होरिलवा जहबा।

होली हास-उल्लास का ऐसा रंगीला पर्व है, जिसके आने पर पत्नी अपने प्रियतम से मिलने को तड़प उठती है :—

फागुन मस्त महीना हो लाला।
फागुन मस्त महीना, पिया नहीं अहले।
मोरे पियवा वा विदेश हो लाला।
पिया नहीं अहले॥
केकरा संग खेलहि हम होरी हो लाला।
पिया नहीं अहले॥

होली आ गई और प्रियतम अभी भी प्रवासी बना है। ऐसी बेला में नायिका को कुछ नहीं सुहाता :

हमें न सुहाय ऐसी होरी
पिया बिन
जबहिं पिया परदेश सिधारे,
आ गयी बैरन होरी।
ठाढ़े ननदोई मोरे अरज करत हैं
खेलो दुलहनियां हमारे संग होरी
बतिया काहू की मोहे न भावे
हमें न सुहाय ऐसी होरी
पिया बिन॥

सच है विरह विदग्धा नारी अपने पिय के बिन किस के साथ होरी खेले। उसे तो उसके बगैर जैसे सारी प्रकृति ही जली हुई प्रतीत होती है। इसी से वह कोयल बहन और भैया पलाश से पूछ उठती है कि वे किस के लिए जले ? वह तो उस प्रवासी प्रियतम के लिए जल रही है, जो आस देकर चला गया :—

काकर बर जरगे तैं कोहली दीदी मोर,
काकर बर भैया पलास ?
मैं तो जरे हो मोर हीरा विदेसिया बर,
बांध के चले गेहे आस।

यह तो है विरहिणी नायिका का चित्र, अब एक विरही नायक की अवस्था ईसरी के फाग में देखिए : —

मोरे मत की हरन मुनैयां, आज दिखानी नइयां।
कै कऊं हयै लाल के संगे, पकरी पिंजरा मइयां॥
पत्तन-पत्तन ढूंढ फिरे हैं, बैठी कौन डरइयां।
कात ईसरी इन के लाने, टोरी सरग तरइयां॥
मोरे मन की हरन मुनैयां, आज दिखानी नइयां।

मेरे मन को हरने वाली मुनैयां आज कहीं दिखाई नहीं दी। वह या तो कहीं लाल के साथ होगी या फिर पिंजरे में कैद। मैं तो उसकी खोज में पत्ता-पत्ता देख आया। पता नहीं वह किस डाल पर जाकर छिपी बैठी है। उसके लिए तो मैं स्वर्ग के तारे भी तोड़ चुका हूं।

होली का पर्व जहां विरही नायक-नायिका के लिए दुख-दायी होता है, वहां संयोगियों के लिए रास, 'रंग' और उल्लास का। पति-पत्नी जब आपस में एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं

की उनकी नोक-झोंक और छेड़-छाड़ देखते ही बनती है :

बोरि दिहा मोरी सारी रंगन मां
जो तू मोरी रंगन मां बोरिबे
हमहूं दुपट्टा बोरि देबे अतर मां
जो तू दुपट्टा बोरि देबे अतर मां
हमहूं परदेश चला जाबे फागुन मां
हमहूं नइहर चली जाबे सावन मां
जौ तू नइहर चली जावै फगुन मां
हमहूं विवाह कर लेइवे फगुन मां
जो तू विआह कर लेइबे फगुन मां
हमहूं जहर खाय लेबे फगुन मां ।

पत्नी अपने पति से कहती है कि यदि तुम मेरी साड़ी रंग में डुबोओगे, तो मैं तुम्हारा दुपट्टा इत्र में डूबो दूंगी । इस पर पति कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं फागुन में परदेश चला जाऊंगा । पत्नी भी कम नहीं । वह भी धमकी देती है कि ऐसा करने पर वह सावन में अपने नैहर चली जाएगी । तब पति कहता है कि अगर तू सावन में अपने नैहर चली जाएगी तो मैं फागुन में दूसरा विवाह कर लूंगा । इस पर पत्नी भी उसी तरंग में जवाब देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह जहर खा लेगी । इस प्रकार पति-पत्नी के बीच खूब चुहुल चलती है ।

रंगों की बौछार शुरू होती है तो बाल-वृद्ध सभी उसके रंग में रंग जाते हैं । नायिका भी जी भर के सभी के साथ फाग खेलती है, पर हरेक के साथ उसके रंग खेलने का ढंग अलग होता है— जो निम्न लोकगीत की पंक्तियों से स्पष्ट है :—

पहिरिनी होरी ससुर जी से खेल्यों
खेल्यों घुंघटवा की ओट
दुसरिन होरी जेठी जी से खेल्यों,
खेल्यों नयनवा की ओट ॥
तिसरी होरी बलम जी से खेल्यों,
खेल्यों हिरदवा की ओट ।

सच है होली खेलने का रंग सभी के संग एक जैसा नहीं हो सकता । तभी तो मीरा दिवानी लोक लाज सभी तज कर अपने प्रियतम परमात्मा से होरी खेलने के लिए आतुर हो उठी । उसने अपने हृदय तक के पट खोल दिए हैं :—

फागुन के दिन चार रे
होरी खेल मना रे
विनि करताल पखावज वांजे
अणहद की झंकार रे
बिनु सूर राग छतीसू गांवे
रोम रोम रंग सार रे
सील सन्तोख की केसर खोली
प्रेम गीत पिचकार रे
उड़त गुलाल लाल क्यों अम्बर
बरसत रंग अपार रे
घर के सब पट खोल दिए
लोक लाज सब डार रे
होली खेल पीवधर आए
सोई प्यारी प्रिय प्यार रे
मीरा के प्रभु गिरधर नागर
चरण कमल बलिहार रे ॥

2538
धर्मपुरा
दिल्ली-6

□

फागुन आया

सूर्य दत्त दूबे

फागुन आया, ग्रामों में भी,
जागा फिर से नवजीवन ।
मिटा कुहासा, जागी आशा,
हर्षित रे जन गण तन मन ।
बहती बासन्ती बयार जब,
पुष्प-गंध-रज बिखराती ।
डाली, डाली झूम झूम कर,
कोकिल पंचम में गाती ।
मंजरियों से आम लद गए,
महक उठी हर अमराई ।
नव-किसलय, नव-पुष्पों से,
हर तरु ने नव आभा पाई ।
श्रम से सींचे जौ, गेहूं में,
उगीं बालियां, लहरातीं ।
उन्नत खाद और बीजों की,
अनुपम महिमा दर्शातीं ।
कहीं कहीं ओढ़ी धरती ने,
सरसों की पीली चादर ।
मन हरते हैं आलू, मूली,
सेम, मटर, गोभी, गाजर ।
अरहर बल खाती खेतों में,
झूम रही है मस्तानी ।
आसमान को ईख छू रही,
खोज रही अपना सानी ।
एक नया उल्लास छिपाए,
आतुर नयनों में अपने ।
हरित क्रान्ति का सेनानी अब,
देख रहा सुन्दर सपने ॥

कहानी

खजाना

गीता मिश्रा

जेठ की एक तपती दोपहरी में सेठ रामचरण दास अपनी कोठी के बाहर वाले कमरे में आराम कर रहे थे। बाहर लू के झोंके चल रहे थे। चारों ओर सुनसान था। कभी कोई इक्का-दुक्का यात्री, बस व मोटर नजर आ जाती थी। बड़ी उमस भरी दुपहरी थी। "लकड़ी ले लो···।" "सूखी लकड़ी···" की आवाजों से उसका ध्यान टूटा। वे सोचने लगे, "अरे। इतनी तेज धूप में कौन बेचारा लकड़ी बेच रहा है ?" कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में दया अवश्य होती है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, न जाने क्यों सेठ के मन में लकड़हारे के प्रति दया की भावना आ गई। उन्होंने एक नौकर से कह कर उस लकड़हारे को अपने सामने बुलाया।

लकड़हारा दुबला-पतला था। उसके साथ लकड़ियों का एक बड़ा-सा बण्डल था। उसने झुक कर सेठ को प्रणाम किया। सेठ ने देखा कि उसके मुंह पर आश्चर्य मिश्रित डर का भाव था। सेठ ने कहा, "तुम्हें इस लकड़ी का कितना मिल जाता है ?"

"जी, यही कोई दो रुपया," उसने हिचकिचाते हुए कहा।

"हूं, ठीक है।" सेठ ने कुछ देर सोच कर कहा। "मैं तुम्हें ढाई रुपये दे दिया करूंगा, तुम रोज हमारे यहां लकड़ी दे जाया करना।"

"अच्छा सरकार।" लकड़हारे ने उत्तर दिया।

लकड़ियों का बण्डल सेठ को देकर जब वह चला तो उसके हाथ में ढाई रुपये थे। सावधानी से उसने वे रुपये अपनी जेब में रख लिए। वह सोचता जा रहा था, "चलो, अच्छा ही हुआ। अब घर भी जल्दी पहुंच जाया करूंगा। पहले तो चिल्ला-चिल्ला कर लकड़ी बेचता था, अब चुपचाप लकड़ी काट कर सेठ के यहां रख आया करूंगा। रुपये भी अब ज्यादा मिला करेंगे।"

यह उसका रोज का नियम हो गया। लकड़ी काट कर सेठ के यहां दे आता। एक दिन सेठ ने सोचा, मैं इससे रोज लकड़ी खरीदता हूं तथा इसे आठ आने ज्यादा भी देता हूं तो क्यों न इससे कुछ काम ही करा लिया करूं।" जब लकड़हारा आया तो सेठ ने उससे कहा, "लकड़ी रखने के बाद तुम जरा मेरे घोड़े को खरारा भी कर दिया करो।" उसने हामी भर ली और घोड़े को खरारा भी करने लग गया। कुछ दिन और बीते।

एक दिन सेठ ने उसे बुला कर कहा, "तुम खरारा करने के साथ-साथ मेरा मैदान भी साफ कर दिया करो। समय ही कितना लगता है इन कामों में ? और हां जरा दो मटके पानी घोड़े की नांद में डाल दिया करना।" लकड़हारे ने सोचा, "ठीक ही तो कह रहा है सेठ, इन कामों में समय ही कितना लगेगा। मैं यह काम कर दिया करूंगा।"

उसे चुप देख सेठ ने कहा, "मैं तुम्हें एक रुपया और दे दिया करूंगा।" यह सुनकर तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और जल्दी से उसने हां कर दी। सारा काम करने के पश्चात् जब वह सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने साढ़े तीन रुपये उसके हाथ में पकड़ा दिए। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह जल्दी-जल्दी घर गया और अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया। वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई।

कुछ दिनों बाद सेठ ने फिर उसे बुलाया। वह समझ गया कि सेठ फिर कोई नया काम अवश्य करवाएगा। लेकिन रुपया भी तो अधिक देता है और कोई छोटा-मोटा काम ही होगा। जब वह सेठ के सामने पहुंचा तो उसका अनुमान सही निकला। सेठ ने उससे कहा, "मैं तुम्हें मजदूरी औरों से ज्यादा देता हूं। अब तुम्हारा एक रुपया फिर बढ़ाऊंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलो करोगे ?"

"हां सरकार।" लकड़हारे ने कहा। "तो ठीक है। काम करने के बाद तुम वह सब्जी वाली टोकरी मेरे एक सम्बन्धी के घर पहुंचा दोगे ?" सेठ ने टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा।

अब वह सब काम करने के साथ-साथ सेठ के पास जाकर सब्जी की टोकरी लेता और सम्बन्धी के यहां पहुंचा आता।

अब उसे घर पहुंचने में देर हो जाया करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, "तुम तो पूरे शहर वाले ही हो गए।" "क्या करूं, सेठ ने कहा है कि मेरे सम्बन्धी को उसके घर सब्जी पहुंचा दिया करो।"

"क्यों क्या वहां सब्जी नहीं मिलती ?" पत्नी ने बात काटते हुए कहा।

"हां मिलती तो है परन्तु मंहगी मिलती है। फिर सेठ रुपया भी तो ज्यादा देता है। देख, अब मैं साढ़े चार रुपये लाता हूं और हमारा तो काम ही मेहनत करके खाना है।" उसकी यह बात सुन कर पत्नी चुप हो गई।

कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी को तेज बुखार चढ़ गया। जब लकड़हारा काम पर जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि आज जल्दी ही सारा काम निपटाकर चले आना।

उसने जल्दी-जल्दी लकड़ी काटी, खरारा किया, नांदों में पानी डाला, मैदान साफ किया और सेठ के पास पहुंच गया। "सेठ जी···" सकुचाते हुए

उसने अपनी बात शुरू की। "हां हां बोलो।" सेठ ने कहा। "आज मेरी पत्नी बीमार है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया होगा इसीलिए आज मैं जल्दी जाना चाहूंगा।"

"तो ठीक है जल्दी से यह सब्जी उनके घर पहुंचा कर चले जाना।"

"जी नहीं, आज मैं सब्जी देने नहीं जा सकता, आप मुझे साढ़े तीन रुपये ही दीजिए।" उसका उत्तर सुनकर सेठ की त्यौरियां चढ़ गई। आखिर वह था तो सेठ ही। गरज कर बोला, "यह कैसे हो सकता है ? उनके बच्चे तथा वे लोग क्या खाएंगे ? वे तुम्हारे इन्तजार में बैठे होंगे। तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा। यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें आज की मजदूरी नहीं मिलेगी।"

मजदूरी न मिलने की बात सुनकर वह चौंक गया। यदि आज मजदूरी नहीं मिलेगी तो वह अपनी पत्नी के लिए दवा फल आदि कैसे खरीद सकेगा। यही सोचकर उसने सब्जी की टोकरी उठा ली। सेठ ने मुस्कराते हुए दो-दो के दो नोट तथा एक चमकती हुई अठन्नी उसकी हथेली पर रख दी। उसे लेकर वह दौड़ता हुआ गया। रास्ते में उसने दवाइयां तथा फल भी खरीद लिए।

उनके घर पहुंचकर सब्जी देकर वह जैसे ही मुड़ा कि घर के मालिक ने आवाज दी, "अरे जरा सुनो तो। आज मैं बहुत लम्बा चक्कर लगा कर आ रहा हूं, मेरे पैरों में दर्द है। तुम जरा पैर दबा दो।"

"साहब आज मैं आपकी बात नहीं मान सकूंगा क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मेरा घर भी तो यहां से बहुत दूर है।" परन्तु वाक्य पूरा होने से पहले ही एक जोर का चांटा उसके गाल पर पड़ चुका था। बेचारा दुबला-पतला लकड़हारा उस मोटे ताजे सेठ का थप्पड़ खाकर चकरा गया। वह अभी भी बोले जा रहा था, "नमकहराम, आज जरा सा काम कह दिया तो इसकी पत्नी मरने लगी। ये बहाना ..।" थप्पड़ खाकर उसका स्वाभिमान जाग उठा, उसने बीच में ही कहा, "सेठ जी, गरीबों में भी दिल होता है, शायद यह आपने नहीं जाना इसलिए आपने मुझे थप्पड़ मारा है। आप क्या समझते हैं कि थप्पड़ खाकर मैं आपके पैर दबा दूंगा ? कभी नहीं ..." और पैर पटकता हुआ वह वहां से चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि ये अमीर लोग कितने बेरहम होते हैं। पैसा देकर ये लोग सोचते हैं कि उन्होंने गरीबों को खरीद लिया है। "फिर उसे स्वयं पर गुस्सा आने लगा।" मैं भी तो कितना बुद्धू हूं। यदि आज मैं पैसे के लोभ में पड़ कर सेठ की नौकरी न करता तो क्यों मुझे यह बेइज्जती सहनी पड़ती ? क्यों मुझे उस सेठ के बच्चे का थप्पड़ खाना पड़ता।

इसी तरह सोचते-सोचते कब वह घर आ गया उसे ध्यान न रहा। उसने देखा, घर में बिल्कुल अंधेरा था, न कहीं बत्ती जली थी न लालटेन। अंधेरे में खोज खोज कर बड़ी मुश्किल से उसने लालटेन जलाई तो देखा कि उसकी पत्नी खाट पर बेसुध सी पड़ी थी। उसे बहुत तेज बुखार था। लकड़हारे ने उसे दवा दी, फल खिलाए तथा फिर एक दरी बिछा कर लेट गया। सारी रात वह सो न सका। एक तो पत्नी बीमार थी तथा दूसरे आज उसका जो अपमान हुआ था वह असहनीय था।

परन्तु जब वह दूसरे दिन सुबह उठा तो बहुत प्रसन्न था। पत्नी को दवाइयां आदि देकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और चल पड़ा जंगल में लकड़ियां काटने। लकड़ियां काटते हुए वह गाना गुनगुनाने लगा। आज वह बहुत खुश था, मानो उसे खजाना मिल गया हो और सचमुच ही उसे खुशी का खजाना मिल चुका था। जब वह गट्ठर उठा कर चला तो वह सेठ के घर की तरफ न जाकर सड़कों पर आवाजें लगा रहा था, "लकड़ी लो।" "सूखी लकड़ियां।" वह सोच रहा था, आज दो रुपये मिलेंगे। एक रुपया पत्नी पर खर्च करूंगा और एक स्वयं पर। □

1644, सोहन गंज, सब्जी मण्डी,
दिल्ली

पहला सुख निरोगी काया

गर्भवती स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य रक्षा के उपाय

आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ व बलवान देखना चाहते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि गर्भवती स्त्री की देखभाल सावधानी से की जाए। गर्भवती स्त्री की सुचारु रूप से की गई देखभाल गर्भ को सुरक्षित रखती है व भावी पीढ़ी के स्वस्थ होने की सम्भावना को बढ़ाती है। सभी देशों की सरकारों ने गर्भवती स्त्रियों की देखभाल के लिए समुचित कदम उठाए हैं। भारत में भी इसकी व्यवस्था काफी पैमाने पर की गई है। लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती स्त्रियों की देखभाल के लिए दिन निर्धारित हैं व विशेष औषधियों व शक्तिवर्धक भोजन सामग्री की भी व्यवस्था है। बड़े शहरों व गांवों में स्थान-स्थान पर केन्द्र खुले हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं।

साफ सुथरे व खुले वातावरण में वैसे तो सभी को ही रहना चाहिए परन्तु गर्भवती स्त्री के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए एक साफ सुथरे कमरे का प्रबन्ध अलग से होना चाहिए जहां वह अपनी इच्छा व आवश्यकतानुसार सो सके या आराम कर सके। उस कमरे में हवा व रोशनी का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए ताकि पीने के पानी में किसी प्रकार की गन्दगी न जाए। शरीर की सफाई अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए जरूरी है कि वह प्रतिदिन स्नान करे। नहाने के लिए गर्मियों में ठण्डे व सर्दियों में गर्म पानी का प्रयोग करे। यदि किसी कारणवश गर्भवती कमजोर हो तो उसे गर्मियों में भी हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। इससे शरीर स्वच्छ तो हो ही जाता है साथ ही साथ थकावट उतर जाने के बाद शरीर में स्फूर्ति आती है। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े मौसम के अनुसार पहनने चाहिए परन्तु एक बात का ध्यान रहे कि कपड़े ढीले होने चाहिए, तंग कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए चूंकि इस अवस्था में कुछ अंगों का विकास व प्रसार होना होता है, तंग कपड़े पहनने से विकास उचित रूप से न हो पाएगा।

गर्भवती स्त्री को कम से कम आठ घण्टे रात को सोना चाहिए। दिन में वैसे थोड़ा लेट कर वह आराम कर सकती है, गर्मी के दिनों में दोपहर को 1 से 2 घण्टे सो सकती है परन्तु हर समय बिस्तर पर लेटे रहना हानिकारक होगा। हर समय लेटे रहने से सुस्ती

ललितेश कश्यप

आएगी व पाचन बिगड़ जाएगा जिससे कब्ज रहने लगेगा। गर्भवती स्त्रियों के लिए कब्ज कदापि उचित नहीं है। घर का काम आवश्यकतानुसार करना चाहिए पर, भागना दौड़ना, उछलना कूदना, भारी बोझा उठाना, बार-बार सीढ़ियां चढ़ना-उतरना गर्भवती के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, तांगे में, बैलगाड़ी की सवारी या जिसमें जोर से हिचकोले लगें ठीक नहीं है।

गर्भवती को हर प्रकार के दुःख विषाद, चिन्ता, भय, क्रोध, से बचना चाहिए। कई बार किसी प्रकार का भी असाधारण आघात सहसा होने पर या भयभीत हो जाने पर गर्भ के नष्ट होने या समय से पूर्व हो जाने की सम्भावना रहती है। कहने का मतलब यह है कि गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए। विचारों को शुद्ध रखे। विषय वासना से बचे और जहां कोई भी संक्रामक रोग जैसे खसरा, चेचक, हैजा, टी० बी० हो, वहां गर्भवती स्त्री न जाए। कोई भी तेज दवा कब्ज को दूर करने के लिए कभी न खाएं।

गर्भवती स्त्री को भोजन ताजा, सादा, पौष्टिक व शीघ्र पच जाने वाला मिलना चाहिए। भारी भोजन करने से वह देर से पचेगा, वायु अधिक बनेगी जिससे गर्भवती को बेचैनी बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। इससे बचने के लिए रोटी, चावल, मूंग की दाल, हरी सब्जियां, जैसे लौकी, टिंडे, तोरी, परवल, शलगम, चुकन्दर, गाजर, टमाटर, साग पालक, बथुआ आदि का प्रयोग करवाएं। मांसाहारी स्त्रियां बकरे के मांस का शोरबा ले सकती हैं। यदि इसके साथ हरी तरकारियां पका कर खाई जाएं तो अधिक लाभप्रद है। दूध का प्रयोग बराबर करना चाहिए। मक्खन, छाछ शौक से इस्तेमाल करें। आम, खरबूजा, तरबूज, अनार, अंगूर, लोकाट आदि जो फल मिलें उनका प्रयोग कर सकती हैं।

नशीले पदार्थों का प्रयोग गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए। लोबिया, मसूर, अरबी, बैंगन, भिण्डी आदि का प्रयोग न करें चूंकि यह देर में पचते हैं व कब्ज करती है।

चाय आदि का प्रयोग गर्मियों में नहीं करना चाहिए। सर्दियों में थोड़ा प्रयोग कर सकती हैं।

भोजन सादा ठीक से पका हुआ व ताजा होना चाहिए। कच्चा-पक्का या बासी अथवा बुसा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए।

गर्भवती स्त्री का नाम केन्द्र या अस्पताल में लिखवा देना चाहिए व समय-समय पर वहां परीक्षा करवाते रहना चाहिए। पहला बच्चा हो तो केस अस्पताल में ही करवाना चाहिए और जैसी हिदायत वहां से मिले उसके अनुसार व्यवस्था करते रहना चाहिए।

गले के रोगों का यूनानी इलाज

हकीम चुन्नीलाल

सरदी के दिनों में अक्सर लोगों को गला खराब होने की शिकायत हो जाती है। सरदी लगने या आइसक्रीम आदि ठण्डी चीजें खाने से स्वरयन्त्र में सूजन पैदा हो जाती है। यदि समय पर इसका ठीक उपचार न किया जाए तो छाती के स्वास नली आदि सभी स्थान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यहां तक कि फेफड़ों में भी विकार पैदा हो जाता है। अतः जैसे ही गला खराब होने की शिकायत हो तो नमक के गरारे करने चाहिए। यदि स्थिति इससे काबू में न आए तो कत्था सफेद 10 तोला, जायफल 2½ तोला, चीनी 2½ तोला, मुस्क काफूर 2½ तोला, सुपारी छोटी 2½ तोला—इन सब दवाइयों को पीस कर पानी में मिला कर दो-दो रत्ती की गोली बनाएं और चार-चार घण्टे के बाद मरीज को दें। इससे गला साफ हो जाएगा। जुकाम-खांसी भी दूर होगी। यदि खांसी ज्यादा तंग करती हो तो इन गोलियों को अमरूद के पत्तों के काढ़े के साथ दें।

वैसे खांसी कोई स्वतन्त्र विकार नहीं है। यह अन्य रोगों के कारण ही होती है। अक्सर जुकाम भी इसका कारण है। जब जुकाम बिगड़ जाता है तो हरा पीला बलगम आने लगता है। उस हालत में बनफ्सा एक तोला, गाजबा एक तोला, लसौड़े एक तोला, पिया बांसा एक तोला—इनके काढ़े में नमक डाल कर पिएं। इससे बलगम निकल कर छाती व गला साफ होगा। गला खराब होने पर चिकनी व ठण्डी चीजें नहीं खानी चाहिए। कब्ज हो तो काली हरड़ का चूर्ण लेने से पेट साफ होगा। यह गले में भी लाभ करती है।

□

18 ए, सावित्री नगर,
मालवीय नगर
नई दिल्ली-17

रोग का घर खांसी लड़ाई का घर हांसी

डा० युद्धवीर सिंह

एक कहावत है कि "रोग का घर खांसी और लड़ाई का घर हांसी" यह ठीक ही है। खांसी एक ऐसा रोग है कि गला, फेफड़ा या दिल कहीं भी खराबी होने पर खांसी उठ जाती है। इसलिए यदि खांसी उठते ही उसकी देखभाल हो जाए तो हम अनेक भयंकर रोगों का शिकार होने से बच सकते हैं। मगर खांसी दरअसल कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है बल्कि कई रोगों का लक्षण मात्र है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि खांसी आते ही उसकी छानबीन की जावे और पता लगाया जाए कि खांसी की जड़ में कौन सा रोग है—किस अंग में विकार पैदा हुआ है।

तो पहले देखिए खांसी किन किन रोगों में हो जाती है (1) मामूली सर्दी जुकाम में खांसी हो जाती है। (2) गले में टांसिल बढ़ जाएं या किसी प्रकार से खराश पैदा हो जाए तो खांसी उठने लगती है। (3) फेफड़े में न्यूमोनिया, ब्रांकाइटिस (हवा की नलियों का प्रदाह), प्लुरिसी (फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली का प्रदाह), क्षय रोग, दमा रोग इन सब में खांसी जरूर रहती है। (4) हृदय रोग हो तो भी खांसी उठने लगती है। (5) जिगर या मेदे में विकार होने से भी खांसी आ जाती है।

तो असल इलाज तो खांसी का यही है कि जो असली रोग हो उसका इलाज किया जाए। प्रायः लोग खांसी ही के लिए कोई शर्बत, कोई टिकिया चूसने को या कोई और दवा खांसी दबाने की देते हैं वह ठीक नहीं है। वास्तव में खांसी तो हमें बताती है कि शरीर में कहीं रोग है तो उसे दबाने के बजाए रोग का पता लगा कर उस रोग का इलाज ही करना उचित है। खांसी के भिन्न-भिन्न लक्षणों के आधार पर हम कुछ दवायें नीचे लिख रहे हैं। खांसी होते ही ये दवायें देने से रोग बढ़ नहीं पायेगा और खांसी तथा खांसी पैदा करने वाला रोग भी ठीक हो जावेगा। खटाई गले को खराब करती है। इस लिए सब प्रकार की खांसी में खटाई का बिलकुल परहेज रखना चाहिए। बहुत ठण्डी चीजें या बहुत गर्म भी नहीं लेनी चाहिए। नमकीन गुनगुने पानी से गरारे करने से गला साफ रहता है और खांसी कम उठती है।

दवाओं के लक्षण

एकोनाइट 3× —ठण्डी खुश्क हवा लगने से केवल गले से उठने वाली खांसी। ठण्ड के कारण बुखार के साथ खांसी। खांसी के साथ छाती में दर्द। आधी रात के समय खांसी का बढ़ना। खांसी के साथ बेचैनी।

इपीकाक 3× —खांसी के साथ जी मिचलाना। काली खांसी। छींकें, श्वास की नली में सुरसुराहट या जरूम सा हो जाए। सांय सांय का शब्द हो। खांसते समय नाभि तक दर्द हो।

ब्रायोनीया —सूखी खांसी, कब्ज, छाती में सुइयां चुभने का सा दर्द, सुबह शाम खांसी का बढ़ना। ठण्डी जगह से गर्म जगह

जाने पर खांसी का बढ़ना। बाहर से कमरे में घुसने पर खांसी का बढ़ना।

ड्रोसेरा —काली खांसी जो बच्चों को हो जाती है मुंह लाल हो जाता है बच्चा खांसते-खांसते उल्टी भी कर देता है। इसमें इस दवा की एक मात्रा रोज देना काफी है। एकोनाइट के बाद यह दवा देने से काली खांसी से राहत मिलती है।

काली बाईक्रोम —गोंद जैसा बलगम जो थूकते समय चिपक जाए और डोरे की तरह निकले। बच्चों के ब्रांकाइटिस में बुखार उतरने के बाद अकसर ऐसी खांसी रह जाती है। सांस में कष्ट, सुबह 3 बजे खांसी बढ़ना।

फासफोरस —फेफड़े में रोग होने पर खांसी। बाईं तरफ लेटने से खांसी बढ़ना। ठण्डा पानी पीने को जी चाहता है। बलगम में खून आता है। बलगम नमकीन सा होता है। गर्म जगह से ठण्डी जगह जाने पर खांसी बढ़ना।

मैगनेशीया फास 3× —आक्षेपिक खांसी। नाड़ी मण्डल में आक्षेप के कारण खुश्क खांसी उठना। काली खांसी। गरम पानी में 3-4 टिकियां डालकर गर्म-गर्म दिन में 4-5 बार पीना चाहिए।

हीपर सल्फ —ठण्ड से ठण्डी हवा से बढ़ना। ठण्डी चीजें या फल खाने से खांसी बढ़ना, बलगम निकलने पर शान्ति होना। ठण्ड के समय सुबह शाम खांसी बढ़ना। पुरानी खांसी में उच्च क्रम की एक मात्रा ही देना काफी है। पेट की खराबी के साथ खांसी।

बैलाडोना —गला आ जाने से गले से उठने वाली खांसी—खांसते-खांसते चेहरा लाल हो जाए—टांसिल सूजे हों। खुस खुसी खांसी।

हायोसायमस —स्नायविक आक्षेप से पैदा होने वाली खांसी। रात में या सोने पर खांसी का बढ़ना। उठ बैठने पर कम हो जाना। गले में अटकता हुआ लगना।

एन्टिमटार्ट —फेफड़े में बलगम बोलना। बच्चों की खांसी। छाती में व गले में बलगम की आवाज।

पलसाटीला —पेट खराब, खांसी में पीला बलगम निकले। हवा में खांसी दब जाना।

सलफर —पुरानी खांसी।

काली म्युर 6× —सफेद बलगम निकलना।

कैमोमिला —बच्चों को दांत निकलने के समय खांसी। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाए।

काकसकैक्टाई —नींद खुलते ही खांसी। काग बढ़ जाने से खांसी। काली खांसी, सांस रोकने वाली खांसी।

आर्सेनिक एलबम —आधी रात के बाद खांसी—दमे के रोग की खांसी। लेटने से बढ़ना। बेचैनी।

काली कार्ब —सुबह चार बजे खांसी उठना। छाती में दर्द।

अन्य उपाय —जैसा हम पहले लिख आये हैं खांसी रोग का लक्षण मात्र है। इसलिए खांसी आते ही इलाज शुरू कर देना चाहिए। असल रोग ठीक होने से खांसी जाती रहेगी। साधारणतया धूआं, धूल तथा धूम्रपान से बिना अन्दरूनी रोग के गले से खांसी उठने लगती है। ऐसी हालत में फौरन धूएं, धूल व सिगरेट आदि से बचना चाहिए। साथ ही गरम पानी में नमक डाल कर गरारे करना चाहिए। गला साफ करने के लिए इलायची या लौंग या मिश्री चूसना लाभकारी है। खांसी की लापरवाही न करें, खांसी होते ही मालूम करें क्या कारण है और कारणा को दूर करें। बाज लोगों को गले को ठण्ड लगने से खांसी हो जाती है तो गले में ठण्ड के दिनों में गरम गुलूबन्द लपेटें। सिगरेट पीना छोड़ देने से कई लोगों की खांसी ठीक हो जाती है। गर्म और ठण्डी चीजें साथ साथ खाने से भी खांसी उठती है। इसका खयाल रखें। खटाई खांसी पैदा करती है। खटाई से परहेज रखें।

दवायें 6 या 30 शक्ति दें। पुरानी खांसी में 200 या 1000 शक्ति की सप्ताह या 15 दिन में एक मात्रा काफी है।

□

डा० युद्धवीर सिंह

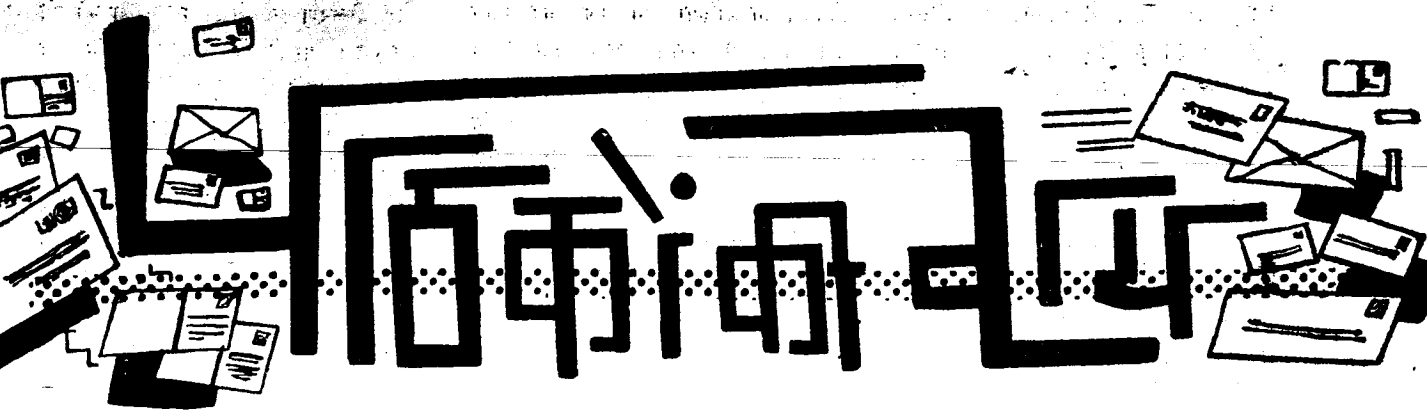

प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव क्यों ?

उत्तर प्रदेश में पिछले पंचायतों के चुनावों में जो मारधाड़ हुई उसकी चर्चा करना तो अब अप्रासंगिक होगा, परन्तु इस समय राज्य के जिले-जिले में अनेक पंचायतों के प्रधानों के खिलाफ अविश्वास के प्रस्तावों पर मतदान होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज कानून के अधीन प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान में विपक्ष को ग्राम सभा के दो तिहाई मत प्राप्त करना जरूरी है। वास्तव में कहीं भी विपक्ष को दो तिहाई मत प्राप्त करना कठिन कार्य है। प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने से लेकर मतदान के समय तक गांव में तनाव का वातावरण बना रहता है। यहां तक कि कभी-कभी सिर-फुटोवल की नौबत भी आ जाती है। पार्टी बन्दी और झगड़े फसाद का बोल-बाला रहता है। दोनों पक्ष अपना काम-धाम छोड़कर अपने-अपने पक्ष में मतदाताओं को मोड़ने में लग जाते हैं और मतदान के दिन तो गांव के सारे स्त्री पुरुष अपना काम-धाम छोड़कर सुबह से शाम तक चुनाव के मैदान में डटे रहते हैं। नतीजा यह होता है कि चुनाव प्रचार के दौरान गांव का हजारों रुपये का श्रम बेकार हो जाता है, और विकास कार्य में बाधा आती है। परन्तु चुनाव के दिन तो सारे गांव के स्त्री-पुरुषों का श्रम पूर्णतया बेकार चला जाता है। खेती-बाड़ी का धन्धा उस दिन चौपट रहता है और इससे उत्पादन में कमी आती है। यदि एक हजार की आबादी के गांव को लें तो उसमें कम से कम 600 मतदाता होने चाहिए और इन मतदाताओं के श्रम का मूल्य 2 रु० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रखा जाए तो चुनाव के दिन गांव वालों का 12 सौ रु० का नुकसान हुआ। उत्पादन और विकास कार्य में जो बाधा आई वह अलग रही।

इसके अलावा गांव के दोनों पक्ष ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० के दफ्तरों की ओर दौड़ भाग करते हैं और उचित और अनुचित तरीके से अपने-अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए उनकी खुशामद दरामद करते हैं। यहां तक कि उनकी मुट्ठी गर्म करने का प्रलोभन देते हैं। ये हम गांव वाले ही हैं जो इन कर्मचारियों को कुमार्ग पर डालते हैं, भला आई लक्ष्मी को कौन छोड़ता है और इस तरह ये कर्मचारी भी प्रलोभन वश गांव वालों को समझाने के बजाए उन्हें झगड़े फसादों के लिए ही बहकाते रहते हैं। अतः जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने पंचायती राज विधान में संशोधन कर ऐसी व्यवस्था करे कि एक बार चुनाव मतदान हो जाने के बाद पुनः मतदान की नौबत न आए, दूसरे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपना ये कर्त्तव्य समझें कि गांव में झगड़े-फसाद न हो पाएं, यदि ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० चाहें तो किसी भी गांव में एक भी पंचायत सम्बन्धी झगड़ा नहीं हो सकता। गांव को एक सूत्र में आबद्ध रखना भी उनका उत्तरदायित्व है।

आर्येन्द्र सिंह चौहान
ग्राम ओगीपुर, पो० ओगीपुर
जिला अलीगढ़ (म० प्र०)

व्यावसायिक बैंक ग्राम विकास में योग दें

हमारी अर्थ व्यवस्था का आधार कृषि है। राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से ही प्राप्त होता है और देश की लगभग 50% जनता खेती से ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। हम अपने देश से जो वस्तुएं बाहर भेजते हैं उनमें कृषि जन्य पदार्थों का स्थान ½ है। हमारे उपभोग की अधिकांश सामग्री कृषि से ही पैदा होती है। अतः कृषि की उपेक्षा करना हमारे लिए किसी तरह सम्भव नहीं है। वस्तुतः हमारे विकास का एक प्रमुख आधार कृषि ही है।

पर दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी कृषि का उत्पादन बहुत ही कम है। इसलिए कृषि का उत्पादन बढ़ाने के

लिए और गांव में विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वैसे तो इन बैंकों ने थोड़े ही समय में बड़ा सराहनीय कार्य किया है पर कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनकी वजह से गांव वालों को उनका विशेष लाभ नहीं मिल रहा। इसका एक तरीका तो यह है कि देहातों में अधिक से अधिक इनकी शाखाएं खोली जाएं। जहां तक सहकारी ऋण का सम्बन्ध है, सहकारी भूमि विकास बैंक भी बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। परन्तु कुछ क्षेत्रों में सहकारी भूमि विकास बैंकों से यथाशीघ्र ऋण न मिलने, ऋण के दुरुपयोग आदि की शिकायतें हैं। गांव में अधिकतर ऋण सुविधाएं ऋण सहकारी समितियों से ही प्राप्त होती हैं। परन्तु हमारा विचार है कि व्यापारिक बैंक अधिक संख्या में गांवों में अपनी शाखाएं खोलकर ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। गांव में व्यावसायिक बैंक केवल कृषि के लिए ही ऋण देते हैं। पर जरूरत इस बात की है कि कृषि के अलावा कृषि से सम्बन्धित छोटे मोटे उद्योगों को भी ऋण की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं।

हमारे गांवों में जहां एक ओर भयंकर गरीबी है वहां दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, पीने के शुद्ध पानी का न मिलना, सफाई, स्वच्छता आदि आवश्यक सुविधाओं की कमी है। वैसे तो रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य गांवों में चालू है पर इसके लिए जो धन राशि नियत की गई है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इन सुविधाओं को गांव में मुहैया करने के लिए जरूरी है कि व्यापारिक बैंक गांवों की पंचायतों से अपना नाता रिश्ता जोड़ें। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त गांधी जी की देन है। गांधी जी चाहते थे कि गांव का विकास हो और ऐसा विकास हो कि गांव वालों को अपनी जरूरत की सारी चीजें गांव में ही प्राप्त हो जाएं और उन्हें शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसलिए अगर व्यापारिक बैंक चाहें तो पंचायतों को ऋण देकर गांव के सर्वांगीण विकास में अपना प्रमुख योग दे सकते हैं। पंचायतों की आवश्यकताएं जानकर अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों का प्रबन्ध किया जा सकता है। ऋण किस्तों में दिए जा सकते हैं। पंचायत कानूनों में ऐसे संशोधन किए जाएं जिनसे उन्हें ऋण सुविधाएं मिलने में दिक्कत न हो।

हजारीलाल शर्मा
नौजल पुर
पो० ओ० बसई काजी
जि० अलीगढ़

आओ ! हम खेतों में स्वप्न बोएं

"जहीर कुरेशी"

भूख-प्यास के विरोध में कब तक रोएं,
आओ, हम खेतों में एक स्वप्न बोएं !

तोड़-फोड़, लूट-पाट, आगजनी छोड़ें,
अपनी करने की धाराओं को मोड़ें।
शहरों की घुटन से जुड़े रिश्ते तोड़कर—
खुद को गांवों की हरियाली से जोड़ें।

खेतों में सूरज की गर्मियां बिसार कर,
श्रम-जल से समूचे शरीर को भिगोएं !

"बेकारी" के भ्रम के शीश महल तोड़ें,
पढ़-लिख कर भी कुदाल हाथ में उठाएं।
सदियों के उच्छृंखल यौवन को बांधें,
मिट्टी में लोहे की बालियां उगाएं।

वर्तमान के कंचन जलमय तालाब में,
बीते की कटुता को रगड़-रगड़ धोएं !

आखिरी सलाम करें मदिरा के प्यालों को,
अपनाएं सदियों से तिरस्कृत उजालों को।
बोने से पहले क्यों कटने की बात करें ?
गिराएं विषमता की ऊंची दीवालों को।

नागफनी की माला गले उतार कर,
माला में मुस्काते हुए कुछ फूल पिरोएं !

केन्द्र के समाचार

गोबर गैस योजना

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने खादी एवं गामोद्योग आयोग से अनुरोध किया है कि वह देश में गोबर गैस के संयन्त्र लगाने के अपने आन्दोलन को तेज करे। मंत्रालय ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी अनुरोध किया है कि वे गोबर गैस के विस्तार के लिए अपनी ऋण शर्तों को आसान बनाएं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अब तक गोबर गैस के 7 हजार संयन्त्र लगाए हैं जिनमें से दो हजार गुजरात में ही लगाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक बैठक, भारत के उर्वरक आयुक्त डा० एस० आर० बरुआ की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि 1973-74 में गोबर गैस के 6 हजार संयन्त्र लगाने के लिए बैंक सहायता देंगे। इन संयन्त्रों पर 1.5 करोड़ रु० का खर्च आएगा।

डा० बरुआ ने बैठक में कहा कि इन संयन्त्रों से खाद के रूप में गोबर का सही उपयोग ही नहीं होगा बल्कि कृषकों को गैस के रूप में अतिरिक्त ईंधन भी प्राप्त होगा। गोबर गैस संयन्त्रों में जो खाद बनेगा उसमें ताजे गोबर की तुलना में अधिक नाइट्रोजन होगा। यह दुर्गन्ध से भी मुक्त होगा। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों-सिण्डीकेट और कनारा ने अपनी शाखाओं को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे इस कार्य के लिए किसानों को ऋण देना शुरू करें।

फसल प्रतियोगिता

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय धान फसल प्रतियोगिता (1973 खरीफ) में 5 राज्यों—(1) तमिलनाडु, (2) गुजरात, (3) महाराष्ट्र (4) कर्नाटक, तथा (5) मध्य प्रदेश के कुल 26 किसान भाग ले रहे हैं।

प्रतियोगिता वाले एक एकड़ के प्लाट में धान की ज्यादा से ज्यादा पैदावार प्राप्त करके हर विजयी किसान कृषि पंडित की उपाधि तथा नगद पुरस्कार प्राप्त करता है।

फसल की कटाई, गहाई तथा पैदावार का लेखा आदि रखने का कार्य राज्य कृषि विभाग के कम से कम कृषि उप-निदेशक स्तर के अधिकारी की देखरेख में चलता है। इनके अलावा, कटाई तथा कृषि के अन्य कार्यों में सहायता के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का चुना हुआ एक प्रतिनिधि भी होता है।

प्रथम पुरस्कार विजेता को कृषि पंडित के प्रमाण-पत्र के अलावा, 3,000 रुपए नगद दिए जाते हैं। द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार विजेता को क्रमशः 1,200 रुपए तथा 800 रुपए पुरस्कारस्वरूप दिए जाते हैं।

खरीफ (1973-74) में दूसरी फसलों के लिए अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा रही है, क्योंकि अधिकांश राज्यों ने उनमें भाग नहीं लिया।

जिन राज्यों को खरीफ फसल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर न मिल सका, वे रबी की फसलों जैसे—गेहूं, शरद्-कालीन धान, ज्वार, चना तथा आलू आदि में पुरस्कार जीतने के लिए रबी 1973-74 की अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता में भरसक कोशिश कर सकते हैं।

प्राकृतिक प्रकोप तथा कीड़ों के कारण फसल बरबाद हो जाने से 1972-73 में आयोजित राज्य स्तर की एक विशेष फसल प्रतियोगिता के प्रथम छः विजेता 1972-73 की अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके थे। इसी तरह 1971-72 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता भी 1972 में परिणाम घोषित किए जाने के कारण 1972-73 की रबी की अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके थे। ये सभी 1973-74 की रबी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इच्छुक तथा योग्य किसान उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित राज्य कृषि निदेशक के द्वारा विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) शास्त्री भवन को भेज दें।

अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता के नियमानुसार प्रति-योगिता की फसल समतल मैदानों में चौथाई एकड़ में होनी चाहिए। लेकिन प्रतियोगिता तभी वैध समझी जाएगी, जबकि इनमें कम से कम तीन राज्य भाग लेंगे। रबी में प्रत्येक फसल के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 3,000 रुपए 1,200 रुपए तथा 800 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। पहले की तरह ही प्रथम पुरस्कार विजेता को कृषि पंडित का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

जनजातीय क्षेत्र

जनजाति क्षेत्र के निवासियों को जल्दी लाभ पहुंचाने के लिए मुर्गी-पालन, डेरी और सूअर पालन का विकास बहुत जरूरी है।

जनजाति क्षेत्र के निवासियों तथा समाज के अन्य विकसित वर्गों के जीवन स्तर में विद्यमान विषमता को दूर करने के लिए पांचवीं योजना में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए समन्वित और समयबद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है।

[शेष पृष्ठ 33 पर

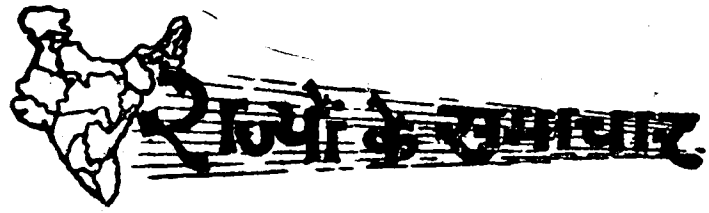

उत्तर प्रदेश

चावल की उपज

जून के महीने में सूखा तथा बाद के तीन महीनों में भारी वर्षा के बावजूद उत्तर प्रदेश में इस वर्ष चावल की उपज का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है तथा चावल की 38 लाख 10 हजार टन पैदावार हुई है।

कुल मिलाकर राज्य में खरीफ का 65 लाख 50 हजार टन उत्पादन रहा जो कृषि निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से लगभग 10 लाख टन कम है। कृषि निदेशालय ने 75 लाख टन खरीफ की फसल का लक्ष्य निर्धारित किया था।

वैसे पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ की पैदावार भी अधिक ही ठहरेगी। गत वर्ष यह उत्पादन 63 लाख टन रहा था।

कृषि निदेशक श्री रामकिशन के कथनानुसार खरीफ के मोटे अनाज इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम पैदा हुए हैं। केवल बाजरा की स्थिति बुरी नहीं है। इस वर्ष ज्वार का उत्पादन 4 लाख 80 हजार टन के लगभग है जबकि पिछले वर्ष उसका उत्पादन 5 लाख 20 हजार टन हुआ था। बाजरा की 8 लाख 10 हजार टन उपज हुई है जो गत वर्ष 7 लाख 20 हजार टन रही थी।

मोटे अनाज की वसूली का काम भी तेजी पर चल रहा है और अब तक 36,485 टन मोटा अनाज वसूल किया जा चुका है। चावल की वसूली के लक्ष्य की भाँति मोटे अनाज की वसूली का लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है। चावल की वसूली का अभियान भी द्रुत गति से चल रहा है और लक्ष्य का 80 प्रतिशत वसूल किया जा चुका है।

हरिजन औद्योगिक बस्ती

रानीखेत के निकट औद्योगिक बस्ती स्थापित की जा रही है। इस बस्ती के स्वामित्व तथा प्रबन्धक का काम हरिजन करेंगे। वे शुरू में अपनी बचत में से इसमें पूंजी लगाएंगे। इस बस्ती के 9 यूनिट होंगे जो कृषि औजारों का निर्माण करेंगे।

मधुमक्खी पालन

राजकीय मधुमक्खी पालन केन्द्र, ज्योलीकोट, जिला नैनीताल में 15 फरवरी, 1974 से चार माह तक मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण निःशुल्क है तथा इसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही प्रवेश ले सकती हैं। प्रवेशकों को हिन्दी का इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि वे हिन्दी में किए जाने वाले प्रशिक्षण को समझ सकें और उसके सम्बन्ध में नोट ले सकें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 27 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के आदेश जारी किए हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों को खोले जाने पर राज्य में इनकी कुल संख्या 920 हो जाएगी।

मध्य प्रदेश

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्यप्रदेश में एक और छोटी परियोजना के लिए 3 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। यह परियोजना झाबुआ जिले में रहेगी और यह राज्य में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा सहायता प्राप्त 7वीं छोटी परियोजना होगी।

इस नवीन परियोजना से झाबुआ तहसील के 9 गांवों का विकास हो सकेगा। जब यह परियोजना दो वर्ष में पूरी होगी, तब इसके द्वारा 15 कृषि पम्पसेटों और इतनी ही संख्या में लघु प्रदाय उद्योगों, 250 घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शनों, 180 स्ट्रीट लाइटों और इन गांवों के निकट की बसी हरिजन बस्तियों को स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली प्राप्त हो सकेगी।

ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अभी तक मध्य प्रदेश में 66 ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को 26 करोड़ रु० से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इनमें से 21 परियोजनाएं विशेष रूप से अनुन्नत क्षेत्रों के विकास में सहायता करने के लिए बनाई गई हैं। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य में 3,100 गांवों, 32,600 पम्पसैटों और 5,600 लघु और कृषि पर आधारित उद्योगों को बिजली की पूर्ति हो सकेगी।

दुग्ध विकास योजना

कृषि पुनर्वास निगम रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र में दुग्ध विकास योजना क्रियान्वित करने जा रहा है। लघु कृषक विकास अभिकरण की सहायता से यह योजना स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कृषि विकास शाखा द्वारा संचालित होगी। जावरा नगर से 5 मील की परिधि के 31 ग्रामों का क्षेत्र 11.10 लाख रुपये की इस योजना से लाभान्वित होगा।

इस योजना के अन्तर्गत 4 वर्ष की अवधि में 400 कृषकों को 800 भैंस खरीदने हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। इ में

से 300 लघु कृषक होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 कृषकों को 1.38 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

उल्लेखनीय प्रगति

बस्तर जिले में विगत तीन वर्षों में 144 विभिन्न लघु उद्योगों को 16,62,186 रुपये और 67 पम्परागत कारीगरों तथा हस्तशिल्पकारों को 58 हजार रु० की वित्तीय सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई। शिक्षा सुविधाओं में विस्तार के फलस्वरूप जिले में 3 महाविद्यालय, 40 उच्चतर माध्यमिक, 251 पूर्व माध्यमिक, 2,137 प्राथमिक तथा 20 पूर्व प्राथमिक शालाएं तथा 134 छात्रावास हैं। इसके अतिरिक्त 164 उपशालाएं भी खोली गई।

राज्य सरकार ने योजना आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य में पोषण कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की है।

भोपाल में आदिवासी हरिजन स्नातकों के लिए एक पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है जिसमें उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। बचत योजना के अन्तर्गत भिलाई क्षेत्र में अब तक 2.55 करोड़ रु० की राशि जमा की जा चुकी है।

राजस्थान

नए रसायन की खोज

उदयपुर विश्वविद्यालय के शस्य विज्ञान विभाग के आचार्य डा० हरज्ञान सिंह के अनुसार 'टरब्यूटाइन' नामक एक नए रसायन से, जो खरपतवारनाशी के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। यह दोमट मटियार मिट्टियों में खतरनाक खरपतवारों को एकदम धराशायी कर समूल नष्ट कर देता है।

डा० हरज्ञान सिंह ने बताया कि देश के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के किसान थोड़ी-सी रकम खर्च करके गेहूं की फसल में खरपतवार नियन्त्रण करने की चिन्ता से मुक्त हो सकते हैं। मटियार जैसी भारी मिट्टियों में तो यह रसायन तिनकों का नाश करके गेहूं की उपज डेढ़ गुनी तक बढ़ा देता है। राजस्थान में किए गए परीक्षणों के ये परिणाम देश की अन्य भारी मिट्टियों में भी ऐसे ही लाभदायी फल दे सकेंगे। इतना न भी हो तो भी हल्की मिट्टियों (बलुईदोमट) में टरब्यूटाइन के उपयोग से गेहूं की उपज में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि तो की ही जा सकती है।

त्रिपुरा

वार्षिक योजना

योजना आयोग ने राज्य के मुख्य मन्त्री के साथ राज्य की 1974-75 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श किया। इस योजना पर 11 करोड़ रु० व्यय होंगे।

इस बैठक की अध्यक्षता योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद धर ने की। इसमें मुख्य मन्त्री श्री एस० सेनगुप्ता, योजना आयोग के राज्य मन्त्री श्री मोहन धारिया तथा उसके अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

विचार-विमर्श शुरू करते हुए श्री एस० सेनगुप्ता ने राज्य के पिछड़ेपन तथा आदिवासियों को फिर से बसाने की समस्याओं पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में खेती और पेपर मिल जैसे उद्योग स्थापित करना आवश्यक है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद धर ने राज्य को सलाह दी कि वह अपनी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कागज बनाने की परियोजना पर विचार करें।

केन्द्र के समाचार .....[पृष्ठ 31 का शेषांश]

क्षेत्र के निवासियों की सभी महत्वपूर्ण मेवाओं के लिए एक ही सहकारी संस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए कई अधिकारियों के पास दौड़-धूप न करनी पड़े।

क्षेत्रों के विकास की गति तेज करके इन क्षेत्रों का आर्थिक शोषण बन्द करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए।

पोषाहार कार्यक्रम

राज्य योजना मंत्री श्री मोहन धारिया ने सुझाव दिया है कि सड़कों, शिक्षा, सफाई और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था के साथ-साथ गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तथा छोटे बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम भी शुरू किया जाए। इसे स्वायत्त शासन की संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, नगर परिषद् और नगर निगमों के अन्तर्गत अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि पोषण कार्यक्रमों की सफलता लोगों के शामिल होने पर निर्भर करती है।

उन्होंने गोष्ठी में बताया कि योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में पोषण कार्यक्रम को शामिल किया है। इस कार्यक्रम के लिए 605 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसके कार्यान्वित करने से 1 करोड़ 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। □

भारत 1973 (वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ)—प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाऊस; मूल्य : 8 रु०; पृष्ठ संख्या; 479।

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित **भारत 1973** में प्रस्तुत सामग्री का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की एक संक्षिप्त झांकी देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करना है। पुस्तक के प्रथम तीन अध्यायों में जिस सामग्री का विवरण दिया गया है वह अत्यन्त सामान्य है। इसे स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में विस्तृत रूप से दिया जाता है, अतः इन विषयों पर यहां सविस्ता जानकारी देने की आवश्यकता नहीं समझी गई तथा संक्षेप में ही प्रस्तुत की गई है। चौथे अध्याय में, जो रक्षा से सम्बन्धित है, सामान्यतः स्थल, वायु तथा नौ सेनाओं व उनके कार्यकलापों का थोड़ा सा उल्लेख तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों आदि के बारे में जो जिक्र किया गया है, उचित तथा आवश्यक प्रतीत होता है। देश की औद्योगिक प्रगति की झांकी हमें अध्याय 7 से मिलती है जो अत्यन्त विस्तारपूर्वक दी गई है। यह सामग्री निस्सन्देह अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों तथा तकनीशियनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। तकनीकी छात्रों की जानकारी के लिए अनुसन्धान संस्थानों, प्रयोगशालाओं व तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित विशद सूचनाएं अन्य किसी भी पुस्तक में एक स्थान पर मिलना कठिन लगता है। इस प्रकार की जानकारी न केवल उद्योगपतियों व तकनीशियनों के लिए ही उपयोगी है वरन् छात्रों तथा बेरोजगार लोगों के लिए भी लाभप्रद सिद्ध होगी। देश में स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण के क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण भी इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। जन सम्पर्क तथा आर्थिक ढांचे पर भी प्रकाश डाला गया है।

वित्त, आयोजन, कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास, सिंचाई तथा बिजली के क्षेत्रों में हो रही बहुमुखी प्रगति का विस्तृत विवरण चमत्कारी तो प्रतीत हो रहा है, परन्तु इन क्षेत्रों में हुई अथवा हो रही प्रगति के स्पष्ट लक्षण और भी अधिक प्रभावशाली होने चाहिए। लगता ऐसा है कि या तो इन कार्यक्रमों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा अथवा इनके कार्यान्वयन में कहीं ढील है जिसके कारण यथार्थ तथा लाभप्रद परिणाम सामने नहीं आ पाते।

उद्योग, वाणिज्य तथा परिवहन विषय महत्वपूर्ण होने के नाते विशिष्ट रूप से संकलित आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। अच्छा तो यह रहता कि सारणियों के साथ-साथ ग्राफ तथा हिस्टोग्रामों का प्रयोग किया जाता, कारण ऐसे व्यक्ति जिनके पास समयाभाव है तथा जो अध्ययन में अधिक समय नहीं दे सकते उक्त युक्तियों से थोड़े समय में ही निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पुस्तक में दिए गए चित्र अत्यन्त आकर्षक तथा विषय-सम्बन्धित हैं जो विषय विशेष को और भी अधिक सूचनाप्रद व रोचक बना देते हैं।

राज्य, संघीयक्षेत्र, संसद के कानून तथा 1971 की महत्वपूर्ण घटनाएं आम जानकारी के लिए प्रस्तुत की गई हैं। इन तीनों अध्यायों से विद्यार्थी व अन्य व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। सामग्री तथा छपाई आदि कुल मिलाकर पुस्तक अत्यन्त सुन्दर व उपयोगी बन पड़ी है। मूल्य के आधार पर सामान्य आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए भी इसे खरीदना सम्भव है।

बसन्त कुमार,
317, **कृषि भवन, नई दिल्ली**

□

आधुनिक भारत के निर्माता आशुतोष मुखर्जी—लेखक : श्री शशधर सिन्हा; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार; पृष्ठ संख्या : 83; मूल्य : 3.50 रुपये।

निर्भीक क्रियाशील एवं योग्य व्यक्तियों की जीवनियां और उनके कार्य कलाप किसी देश की भावी सन्ततियों के लिए स्फूर्ति और गौरव के स्रोत होते हैं। स्वर्गीय आशुतोष मुखर्जी का जीवन-वृत्त भी ऐसे ही महान व्यक्तियों के जीवन में से एक है। भारत की विशाल धरती के इसी भूखण्ड को आपके जन्म पर गौरव है जिसके प्रांगण में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, श्री रामकृष्ण परम हंस, स्वामी विवेकानन्द, डा० महेन्द्र लाल सरकार प्रभृति लोग उदित हुए और जिन्होंने अपने कार्यों की मधुर सुगन्ध देश में ही नहीं अपितु विश्व में फैलाई।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग ने यह सुन्दर संकल्प किया है कि वे उन गिने चुने लोगों की, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय पुनरुत्थान एवं स्वाधीनता संग्राम में योगदान किया है, जीवनियां प्रकाशित करें ताकि राष्ट्र के घटकों में एक नव चेतना, जागरण एवं स्फूर्ति का उदय हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य पूर्ति की शृंखला की प्रथम कड़ी है जो निश्चित रूप में सराहनीय है।

आज के युग में दुर्भाग्यवश उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो राजनीति में सक्रिय हैं। किन्तु राजनीति तो जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें व्यक्ति

महान् कार्य करता है। श्री आशुतोष मुखर्जी का नाम शिक्षा क्षेत्र में अमर रहेगा। उनकी यह मान्यता थी कि व्यक्ति संकीर्णता और सामाजिक गतिरोध से उच्च शिक्षा द्वारा ही ऊपर उठ सकता है। अतः उन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा का आधार प्रस्तुत किया। शिक्षा को अपने विचारों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उनमें भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का अद्भुत सम्मिश्रण था। वह 19वीं सदी में बंगाल के पुनर्जागरण काल में पैदा हुए श्रेष्ठ बंगालियों में से एक थे जो न केवल अपनी संस्कृति में पूर्ण दक्ष थे बल्कि पाश्चात्य सभ्यता की अच्छी बातों से भी अवगत थे।

आशुतोष मुखर्जी को अपने ब्राह्मण होने का बड़ा गौरव था। वे युवकों से सम्पर्क रखते थे। 50 वर्ष पहले दिया गया उनका सन्देश युवकों के लिए शायद आज भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, भारतीय विचारधारा में जो कुछ भी भव्य एवं महान है उसकी और भारतीय रीतिरिवाजों एवं प्रथाओं की अवहेलना न करो। पाश्चात्य की चकाचौंध में अपनी बहुमूल्य विरासत का तिरस्कार न करो। कभी भी यह स्वीकार करने में मत हिचको कि तुम सच्चे भारतीय हो। सबसे पहले कठिन परिश्रम करके अपनी भाषाओं को सीखो और समृद्ध बनाओ, क्योंकि केवल देश की भाषाओं के माध्यम से ही तुम अपने देशवासियों तक पहुंच सकते हो और पाश्चात्य विद्या की अपार निधि से उन्हें परिचित करा सकते हो।

प्रस्तुत पुस्तक में जहां श्री मुखर्जी के जीवन वृत्त का संक्षिप्त ब्यौरा है वहां उनके कुछ उल्लेखनीय भाषणों के अंश भी उद्धृत किए गए हैं जिनको पढ़ कर हम उनके शिक्षा सम्बन्धी उच्च एवं निर्भीक विचारों से परिचित होते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके द्वारा दिया गया दीक्षान्त भाषण तथा प्रथम भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दिया गया भाषण परिशिष्ट रूप में पुस्तक में दिया गया है। ये भाषण उनके उदात्त और सुलझे हुए विचारों का परिचय देते हैं। लार्ड लिटन के साथ हुए पत्र व्यवहार के अंश उनकी निर्भीकता और देश प्रेम जतलाते हैं।

जिस उद्देश्य के साथ इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, आशा है उसकी पूर्ति होगी। इसका निर्णय तो पाठक वर्ग स्वयं देंगे। पुस्तक की छपाई अति सुन्दर है।

राममूर्ति कालिया

सहयोगियों की राय

प्रांतीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयता तथा इस तरह की अन्य संकीर्ण वृत्तियां लोकतन्त्र की सफलता में बड़े अवरोध हैं। सैकड़ों वर्षों से टूटे-बिखरे समाज को एक सूत्र में बांधना आसान काम नहीं है। पर, सामाजिक चेतना विकसित करने के प्रयास इस अवरोध को दूर कर सकते हैं। यह काम बुद्धिजीवी वर्ग को सम्भालना होगा। जनता को प्रशिक्षित कर उसमें विवेकशील व तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। जनता की सामूहिक क्षमताओं का विकास गणतन्त्र को शक्तिशाली बनाने की अनिवार्य शर्त है। अधिकारों के प्रति जागरूक और दायित्वों के निर्वाह के लिए सक्रिय जनता ही नैतिकता, ईमानदारी और कठोरश्रम का कल्याणकारी मार्ग अपना सकती है।

व्यक्तिगत स्वार्थों को सामाजिक हितों से ऊपर मानने की दुष्प्रवृत्ति अनेक क्षेत्रों में उभर रही है, जिसका परिणाम "कम से कम काम और अधिक से अधिक मांग" के रूप में सामने आ रहा है। इस प्रवृत्ति को बदलने की यथासम्भव चेष्टा होनी चाहिए। अपनी इच्छा दूसरों पर जबरन लादने के बजाए जन सामान्य की विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और उनके हितों की रक्षा के प्रयासों से जनतन्त्र की रक्षा सम्भव है, और इस स्थिति में ही "जनता द्वारा, जनता की और जनता के लिए" शासन व्यवस्था चल सकती है। ऐसा होने पर ही हमारा भाग्य विधाता भारत सही अर्थों में "जन गण मन अधिनायक" बना रहेगा।

नवजीवन 26 जनवरी 1974

सन्तोष की बात है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जिन लघु उद्योगों का विकास किया जाएगा, उनका सम्बन्ध खाद्य पदार्थों के बन्द डिब्बों, चमड़े, सेरामिक, शीशे, खनिज, लकड़ी तथा वन के उत्पादनों से विशेष रूप से रहेगा। इन पदार्थों के उत्पादनों के कच्चे माल की इस देश में कमी नहीं है। अब इस्पात तथा आयातित कच्चे माल की आपूर्ति बहुत कठिन हो गई है। इसीलिए छोटे उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में नई नीति ग्रहण करना आवश्यक हो गया है। देश में छोटे उद्योगों की तीन लाख बाईस हजार इकाइयां हैं। देश के औद्योगिक उत्पादनों से जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, उसका पचास प्रतिशत इन्हीं औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त होता है। इन औद्योगिक इकाइयों में चालीस लाख प्रविधिज्ञ तथा गैर-प्रविधिज्ञ काम कर रहे हैं। स्वदेश में प्राप्त तथा सरलता से प्राप्त होने वाले कच्चे मालों के आधार पर लघु उद्योगों की स्थापना हमें आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करेगी।

आज 25 जनवरी 1974

जूठन न छोड़िये

जरूरत का ही

खाना

यह दूसरों के काम आएगा

लीजिए

घर हो या होटल, पार्टी हो या क्लब आप उतना ही खाना लीजिए, जितना आप खा सकते हैं। बच्चों को भी यही सिखाइये।

इसमें आपकी भी बचत है और देश की भी।

दाना दाना कीमती है

भोजन बर्बाद न करें

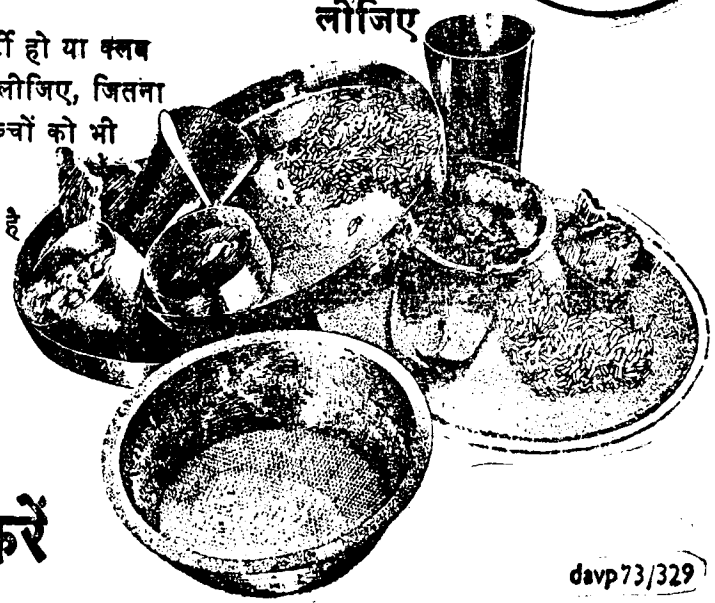

davp73/329

पांचवीं योजना में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

सरकार ने पांचवीं योजना के अन्त तक जन्म-दर 30 प्रति हजार तक लाने का निश्चय किया है। पहले यह लक्ष्य 25 प्रति हजार जन्म-दर का था। इस निश्चय की घोषणा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री डा० कर्ण सिंह ने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में की। इसका अर्थ होगा कि चौथी योजना के अन्त में जनसंख्या में 2 प्रतिशत की वृद्धि-दर की अपेक्षा पांचवीं और छठी योजनाओं के अन्त तक यह वृद्धि दर 1.7 और 1.4 प्रतिशत हो जाएगी।

पांचवीं योजना के मसौदे में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 796 करोड़ रुपए (इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 299.49 करोड़ रुपए शामिल हैं) और परिवार नियोजन के लिए 516 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

पांचवीं योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा प्रणालियों पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अखिल भारतीय देशी चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी।

पांचवीं योजना में संक्रामक रोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मलेरिया, फिलेरिया, हैजा, कुष्ठ रोग और तपेदिक जैसे रोगों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किया जाएगा। □

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो ओर रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक वनने या पता बदलने या अङ्क न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, (सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग), 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, लाइब्रेरी रोड, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd. No. (D) D/98

कर्नाटक में मछली उद्योग का आधुनिकीकरण

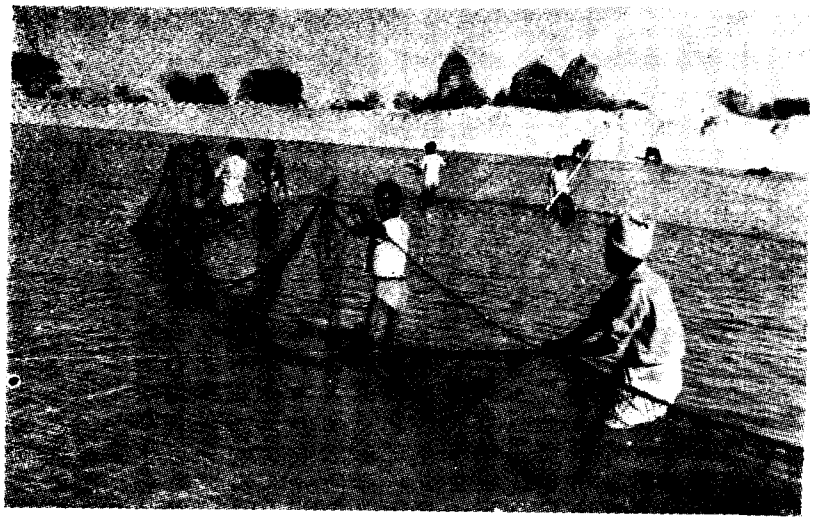

कर्नाटक में 320 किलोमीटर लम्बी तट रेखा के आस-पास समुद्री सम्पत्ति बिखरी हुई है। कर्नाटक के समुद्र-तट के साथ-साथ बसी सैकड़ों बस्तियों के एक लाख से भी अधिक मछेरे मछलियां पकड़ कर जीवनयापन करते हैं।

अपनी देसी नावों में समुद्र की लहरों से जूझने वाला मछेरा मामूली सी कमाई कर पाता है। एक अनुमान के अनुसार, अनुकूल वर्ष में भी एक मछेरे की वार्षिक आय 600 रु० और 1000 रु० के बीच होती है। मछली पकड़ने के विभिन्न मशीनी उपकरणों के उपयोग से यह आय 3,000 रु० और 4,000 रु० वार्षिक के बीच पहुंच सकती है। मात्स्यिकी के आधुनिकीकरण की दिशा में कुछ प्रयास आरम्भ किए गए हैं और 1,100 मशीनीकृत नावों की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मछेरे को समुद्र में दूर-दूर तक मछली पकड़ने में सुभीता रहेगा।

सहकारी संस्थाएं

जिस प्रकार बासी समाचार का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार बासी मछली भी व्यर्थ होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मछलियों को खराब न होने देने के प्रयास आवश्यक हैं और इस दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण स्थानों पर शीत भंडार खोले हैं तथा इनकी संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हो रही है। मछलियों के क्रय-विक्रय की व्यवस्था करने के लिए मछेरों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना एक उल्लेखनीय बात है। कर्नाटक राज्य में दो जिला महासंघों के अलावा 116 ऐसी सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं।

मंगलौर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यहां स्थित राज्य मत्स्य विकास निगम बड़े पैमाने पर मछेरों को सहायता देने के कार्यक्रम पर विचार कर रहा है। मछलियों की बिक्री, खरीद और वितरण के अलावा निगम के कार्यों में मछलीमार नौकाओं का निर्माण, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मछलियों के भण्डारण और मछलियां लाना-ले-जाना भी शामिल है।

1951 से 1969 तक कर्नाटक राज्य में मत्स्य विकास के लिए 5 करोड़ रुपए से भी अधिक पूंजी लगाई गई है। मोरवा शिकारीपुरा में 3 लाख 30 हजार रुपए से 1951 में आरम्भ की गई अन्तर्देशीय मत्स्य विकास की एक छोटी सी योजना बढ़कर इतनी बड़ी हो गई है कि चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य उद्योग ने 3 करोड़ रुपए की पूंजी आकर्षित की है।

मछली पकड़ने में मशीनों के उपयोग से पकड़ी गई मछलियों में 30,000 टन वार्षिक की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप लगभग 6,000 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। मछलियों का निर्यात भी बढ़ा है। निर्यात 4 लाख रु० से बढ़कर 1972-73 में 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

बैंक और कृषि पुनर्विनियोग निगम मछली पकड़ने के मशीनीकृत कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कई स्थानों पर बर्फ-संयन्त्र और शीत-भण्डार स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में मछलियों को सड़ने से बचाने तथा डिब्बा-बन्दी के लिए दस कारखाने स्थापित किए गए हैं। तट से मंडी तक मछलियां पहुंचाने के लिए कुल 75 मील लम्बी तटवर्ती सड़कें बनाई गई हैं। मछेरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। कारवाड़, होन्नावाड़, गांगाली और मंगलौर में खोले गए ऐसे केन्द्रों में 2464 मछेरों को मशीनीकृत मात्स्यिकी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

मछियारी घाटों की सुविधा

कारवाड़ में 1962 में आरम्भ की गई भारत नार्वे परियोजना ने मशीनीकृत मात्स्यिकी के आरम्भ करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

मछलीमार नौकाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह भी आवश्यक हो गया कि और अधिक मछियारी-घाट बनाए जाएं तथा सम्बद्ध सुविधाओं का विकास हो। केन्द्र ने 71 लाख रुपए की लागत से कारवाड़ और होन्नावाड़ में मछियारी-घाटों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। मालपे में 3 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रमुख मछियारी-घाट बनाने का प्रस्ताव है। कारवाड़ में इस सम्बन्ध में अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 लाख 85 हजार रुपए की एक अन्य योजना भी स्वीकृत की गई है। बेलीकेरी, केनी और तवारी में पक्के घाट बनाने तथा अन्य तटीय सुविधाएं प्रदान करने का काम चालू है। कारवाड़ में 165 मीटर का जहाज घाट तथा अन्य तटीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यहां पर नीलामी और पैकिंग कक्ष लगभग पूरा हो चुका है।